



**बिहार सरकार**  
**वित्त विभाग**

**जेन्डर बजट**  
**2018-19**

**(मार्च, 2018)**

## विषय सूची

क्र.		पृष्ठ
1	प्राक्कथन	1-5
2	जेन्डर बजट 2018-19 विभागवार विवरणी	6
3	जेन्डर बजट 2018-19 विभागवार विवरणी (स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय)	7
4	जेन्डर बजट 2018-19 विभागवार विवरणी (राज्य स्कीम)	8
5	जेन्डर बजट 2018-19 विभागवार विवरणी (केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम)	9
6	समाज कल्याण विभाग	10-16
7	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	17-20
8	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	21-23
9	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	24
10	शिक्षा विभाग	25-31
11	स्वास्थ्य विभाग	32-33
12	ग्रामीण विकास विभाग	34-36
13	नगर विकास एवं आवास विभाग	37-38
14	पंचायती राज विभाग	39
15	श्रम संसाधन विभाग	40
16	पिछड़ा एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	41
17	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	42
18	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	43
19	उद्योग विभाग	44-45
20	कृषि विभाग	46-53
21	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	54
22	भवन निर्माण विभाग	55
23	गृह विभाग	56
24	पर्यटन विभाग	56

## प्राक्कथन

महिलाएं राज्य की जनसंख्या का लगभग आधा हिस्सा हैं, उनके विकास के बगैर संपूर्ण समाज का विकास संभव नहीं है। राज्य का असली विकास तभी संभव है जब महिला विकास में भागीदार बनें। जेन्डर बजट महिलाओं को मुख्य धारा में जोड़ने का एक सशक्त माध्यम है। यह महिलाओं के लिए बनाए जानेवाले नीति एवं कार्यक्रम के सूत्रीकरण तथा उनकी समीक्षा में सहायक होता है। महिलाओं की संख्या कुल जनसंख्या का लगभग आधा (48 प्रतिशत) है, लेकिन वे स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक अवसर आदि जैसे कई सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों में पुरुषों से पीछे हैं। उनकी सामाजिक बाध्यता एवं उचित संसाधनों तक पहुँच की कमी को दूर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अपने बजट संसाधनों का उचित आवंटन एवं व्यय किया जाता है। महिलाओं से संबंधित लगभग सभी विकास संकेतक पुरुषों की तुलना में खराब हैं। बिहार के संबंध में विषमताओं का विश्लेषण करने के लिए कुछ प्रासंगिक संकेतक इस प्रकार हैं :-

क्र. सं.	संकेतक	बिहार		भारत	
		पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
<b>सामाजिक संकेतक</b>					
1	आबादी (करोड़) (2011)	5.4	5.0	62.3	58.7
2	लिंग अनुपात-सभी आयु वर्ग (2011)	1000	918	1000	943
3	बाल लिंग अनुपात (0-6 वर्ष) (2011)	1000	935	1000	919
4	जीवन प्रत्याशा (2011-15)	68.5	68.3	66.9	70.0
5	बॉडीमास इन्डेक्स (2015-16) (साधारण से नीचे)	—	30.4	—	22.9
6	रक्तहीनता (15-49 वर्ष) (2015-16)	32.3	60.3	22.7	53
7	20 से 25 वर्ष की महिलाएं जिनकी विवाह 18 वर्ष से पहले हुई (प्रतिशत में) 2015-16	—	42.5	—	26.8
8	संस्थागत प्रसव (%) (2015-16)	—	63.8	—	78.9
9	नवजात शिशु मृत्यु दर (प्रति हजार जन्म) (2016)	31	46	33	36
10	मातृत्व मृत्यु दर (प्रति लाख)	—	208	—	167
11	कूल प्रजनन दर (2016)	—	3.3	—	2.3
12	साक्षरता दर (2011)	71.2	51.5	80.9	64.6
13	सकल नामांकन दर (2015) (I-VIII)	95.5	105.4	94.8	99.2
<b>आर्थिक संकेतक</b>					
14	कार्य सहभागिता दर (2011)	46.5	19.1	53.3	25.5
15	महिलाएं जिनकी अंतिम 12 महीनों में रकम में भुगतान हुई (प्रतिशत में) (2015-16)	—	12.5	—	24.6
16	मकान/जमीन का स्वामित्व में भागीदारी (प्रतिशत में) (2015-16)	43.2	58.8	63.6	38.4
17	जिन महिलाओं के पास बैंक या बचत खाता है, वे स्वयं उपयोग करते हैं (%) (2015-16)	—	26.4	—	53.0
18	जिन महिलाओं के पास एक मोबाइल फोन है जो वे स्वयं उपयोग करते हैं (%) (2015-16)	—	40.9	—	45.9
19	वर्तमान में विवाहित महिलाएं जो आमतौर पर घरेलू निर्णय में भाग लेती हैं (%) (2015-16)	—	75.2	—	84
<b>सांस्कृतिक संकेतक</b>					
20	महिलायें जो वैवाहिक हिंसा का सामना करती हैं (%) (2015-16)	—	43.2	—	28.8
21	बेटों के लिए सशक्त प्राथमिकता (%) (2015-16)	30.0	37.0	18.7	18.8

स्रोत : क्र.सं. 1, 2, 3, 12 एवं 14- जनगणना 2011 (भारत सरकार), 4, 9, 10 एवं 11- प्रतिदर्श निबंधन प्रणाली, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 17, 18, 19, 20 एवं 21- राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण, तथा 13- डाइसा।

बिहार में महिलाएँ कुछ मामलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं और वे राष्ट्रीय औसत स्तर के करीब हैं। सामाजिक-आर्थिक संकेतकों द्वारा यह देखा जा सकता है कि बिहार में लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात (105.4) प्रतिशत भारत की सकल नामांकन अनुपात (99.2) की तुलना में अधिक है। इसी तरह बाल लिंग अनुपात में, भारत (919) की तुलना में बिहार का बाल लिंग अनुपात (935) ज्यादा है। आर्थिक संकेतकों पर नजर डाले तो यह स्पष्ट है कि मकान/जमीन का स्वामित्व में महिलाओं की भागीदारी 59 प्रतिशत है। यह सामाजिक-आर्थिक सूचक बिहार में महिलाओं की बेहतर स्थिति को प्रदर्शित करता है। परन्तु अन्य कई मामलों में उनकी स्थिति आज भी गंभीर है, जिसके सुधार हेतु ठोस कदम उठाये जाने की आवश्यकता है। सामाजिक-आर्थिक संकेतक जैसे लिंग अनुपात (सभी आयु-वर्ग) (918), कार्य सहभागिता दर (19.1), बैंक खाताधारी महिलायें (26.4) या वैसी महिलायें जो वैवाहिक हिंसा की शिकार हैं (43.2), में बिहार की स्थिति अभी भी चिंताजनक है।

हाल के वर्षों में राज्य सरकार द्वारा लिए गये अनेक नीतिगत निर्णय एवं वित्तीय सुधारों के पहल के फलस्वरूप बिहार में महिलाओं की स्थिति में सुधार संभव हो सका है। इस आधे आबादी को मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। इनमें से एक अतिमहत्वपूर्ण कदम जेंडर बजट है, जो सरकार की महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2008-09 से जेन्डर बजटिंग की शुरुआत की गई। इसमें सभी संबंधित विभागों द्वारा महिलाओं के लिए किए गए बजट उपबंध को योजनावार दर्शाया गया है। जेन्डर बजट का प्रमुख उद्देश्य समाज में उत्पन्न असमानताओं को दूर कर महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में अग्रसारित करना है।

इस व्यवस्था में निम्नांकित बिन्दु उल्लेखनीय हैं :-

- प्रत्येक प्रक्षेत्र को महिलाओं के नजरिये से देखा जाये और तदनुसार बजट में यथासंभव प्रावधान किये जायें।
- यह आवश्यक नहीं है कि व्यय महिलाओं के लिए ही किया जाय वरन् यह आवश्यक है कि ऐसे व्यय से या कार्यक्रमों से महिलाओं की स्थिति में सुधार होता हो अथवा उनको लाभ पहुँचता हो। उदाहरणार्थ पेयजल, सफाई एवं बच्चों का स्वास्थ्य महिलाओं के लिए सीधे कर्णांकित नहीं है, लेकिन इसका सीधा प्रभाव महिलाओं की स्थिति सुधारने में होता है, चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं का काफी समय एवं शक्ति इन कार्यों में खर्च होती है। इस विवरणी में महिलाओं की स्थिति सुधारने वाली योजनाओं के लिए प्रावधानों को दो श्रेणियों में दर्शाया गया है।
- श्रेणी-1 में ऐसी योजनायें हैं जिनमें 100 प्रतिशत प्रावधान महिलाओं के लाभ के लिये हैं।
- श्रेणी-2 में ऐसी योजनायें हैं जिनमें महिलाओं के लाभ के लिए कुल प्रावधान का कम से कम 30 प्रतिशत प्रावधान है।

जेन्डर बजट द्वारा लैंगिक संवेदनशीलता के प्रति जागरूकता के साथ-साथ विभिन्न विभागों द्वारा कार्यक्रमों के उद्देश्यों, क्रियान्वयन संबंधी दिशा निर्देशों, तथा वित्तीय कसौटियों को महिलाओं के अनुकूल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। निम्न तालिका में राज्य सरकार द्वारा श्रेणी-1 (100) एवं श्रेणी-2 (30) की योजनाओं की प्रवृत्ति को दर्शाया गया है।

**तालिका 1 : जेंडर बजट का अवलोकन**

(राशि करोड़ ₹0 में)

वर्ष	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय			राज्य स्कीम/केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम			कुल योग		
	श्रेणी-1	श्रेणी-2	कुल योग	श्रेणी-1	श्रेणी-2	कुल योग	श्रेणी-1	श्रेणी-2	कुल योग
2011-12	72.07	862.00	934.07	1932.97	3103.39	5036.37	2005.04	3965.40	5970.44
2012-13	73.48	1183.24	1256.73	1834.03	4750.65	6584.68	1907.51	5933.89	7841.40
2013-14	81.30	1353.37	1434.67	1782.91	4799.05	6581.95	1864.20	6152.42	8016.62
2014-15	90.32	1400.15	1490.47	3390.65	4499.12	7889.77	3480.97	5899.26	9380.24
2015-16	76.46	1458.76	1535.22	3113.50	6809.21	9922.71	3189.96	8267.97	11457.92
2016-2017	59.04	1360.05	1419.09	5980.42	7116.06	13096.48	6039.46	8476.11	14515.57
<b>CAGR</b>	<b>-2.2</b>	<b>8.8</b>	<b>8.1</b>	<b>25.2</b>	<b>15.9</b>	<b>19.3</b>	<b>24.5</b>	<b>14.5</b>	<b>17.8</b>
2017-2018 (RE)	87.33	1841.08	1928.41	9722.75	10650.07	20372.82	9810.08	12491.15	22301.23
2018-19 (BE)	106.24	2206.37	2312.61	11201.59	12059.60	23261.19	11307.83	14265.97	25573.80

उपर्युक्त तालिका-1 से यह प्रतीत होता है कि स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय तथा राज्य स्कीम, दोनों अंशों में ही जेंडर पर की गई खर्च में वृद्धि हो रही है। स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय की वार्षिक वृद्धि दर 8.1 प्रतिशत है जबकि राज्य एवं केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम की वार्षिक वृद्धि दर 19.3 प्रतिशत है। अगर दोनों श्रेणियों के कुल व्यय को देखें तो यह साफ है कि साल दर साल महिलाओं पर होनेवाले व्यय बढ़ती जा रही है। वर्ष 2011-12 की तुलना में वर्ष 2016-17 के वास्तविक व्यय में जहां स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 934 करोड़ ₹0 से लगभग दुगना बढ़कर 1419.00 करोड़ ₹0 हो गया था, वहीं राज्य एवं केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम के तहत इस अवधि में महिलाओं पर खर्च लगभग 3 गुनी बढ़कर 5037.00 करोड़ ₹0 की तुलना में 13096.00 करोड़ ₹0 हो गया था। इस अवधि में 100 प्रतिशत (श्रेणी-1) वाली स्कीम के अन्तर्गत कुल व्यय में 3 गुनी वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं 30 प्रतिशत (श्रेणी-2) वाली स्कीम के मद में कुल व्यय में 2 गुनी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इससे यह स्पष्ट है कि महिलाओं का विकास राज्य सरकार की कार्यसूची में उच्च प्राथमिकता वाले प्रक्षेत्रों में से एक है।

तालिका 2 : कुछ मुख्य संकेतक

संकेतक	श्रेणी-1	श्रेणी- 2	कुल
प्रति व्यक्ति व्यय (2011-12) (रु0)	403	796	1199
प्रति व्यक्ति व्यय (2016-17 ) (रु0)	1082	1519	2601
बजट में हिस्सा (2011-12) (%)	3.33	6.59	9.92
बजट में हिस्सा (2016-17) (%)	4.78	6.71	11.49
जीएसडीपी में हिस्सा (2011-12) (%)	0.81	1.60	2.42
जीएसडीपी में हिस्सा (2016-17) (%)	1.82	2.56	4.38

नोट:- महिला जनसंख्या (जनगणना-2011-12) - 4.98 करोड़, (2016-17)- 5.58 करोड़, (आकलन के आधार पर)  
जीएसडीपी (2011-12) - 243269 करोड़, जीएसडीपी (2016-17) - 540556 करोड़  
बजट (2011-12) - 60182 करोड़ रु0, बजट (2016-17) -126302 करोड़ रु0 (स्रोत- बजट सार-2018-19 )

तालिका-2 से यह स्पष्ट है कि इन छह सालों में महिलाओं पर खर्च में बढ़त हुई है। राज्य के बजट में महिलाओं पर खर्च को अगर देखें तो, 2011-12 तथा 2016-17 के बीच 1.57 प्रतिशत अंक की वृद्धि हुई है। इसी तरह सकल राज्य घरेलु उत्पाद (जीएसडीपी) में भी 1.11 प्रतिशत अंक की वृद्धि हुई है। अतः यह स्पष्ट है कि महिलाओं का हिस्सा बजट एवं जीएसडीपी में बढ़ रहा है और आनेवाले सालों में इसका असर जरूर दिखेगा।

महिलाओं को मुख्य धारा से जोड़ने, उनके विरुद्ध होनेवाले भेद-भावों को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने कई उपाय किए हैं। पंचायती राज, नगर निकाय एवं सहकारी समितियों में राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था किए जाने से जहाँ एक ओर महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार राज्य की सभी नौकरियों में महिलाओं को 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिए जाने से महिलाओं को विकास में भागीदार बनाने, समुचित सम्मान देने, नियोजन के अवसर उपलब्ध कराने तथा सुरक्षित सामाजिक संवेदी वातावरण उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार दृढ़ संकल्पित है।

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम निम्न हैं-

- अक्टूबर 02, 2017 को बाल विवाह एवं दहेज प्रथा उन्मूलन अभियान शुरू किया गया। महिला विकास निगम एवं अन्य सरकारी विभागों द्वारा लोगों को इस बारे में अवगत कराने के लिए मानव श्रृंखला जैसी मुहिम जारी है।

- राज्य सरकार महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तीकरण हेतु कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की शुरुआत की है । जीवन के प्रत्येक पहलू यथा:- पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, क्षमतावर्द्धन आदि के विकास हेतु प्रतिबद्धता के साथ प्रसार कर रही है तथा उनके समग्र विकास के लिए विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है । बालिकाओं में औपचारिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना, मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, मुख्यमंत्री अक्षर आंचल योजना चलाई जा रही है, जिसके फलस्वरूप लड़कियों के नामांकन दर, शिक्षा का स्तर एवं उपस्थिति दर में काफी बेहतरी दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना समेत दर्जनों योजनाएँ चलाकर महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक रूप से सबल करने का प्रयास किया जा रहा है ।
- बिहार आबकारी संशोधन अधिनियम, 2016 के लागू होने से पूरे राज्य में शराब के उपयोग व बिक्री पर पाबंदी लगा दी गई। सरकार के इस निर्णय से निश्चित तौर से महिलाओं पर होने वाले अपराध ग्राफ में गिरावट आई है। साथ ही आधी आबादी का इसे पूर्ण समर्थन भी मिला है। पूर्ण शराबबंदी कानून लागू होने से महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है।
- जीविका परियोजना, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं की उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभा रही है। अब तक 5 लाख से अधिक महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जा चुका है।
- महिलाओं के पक्ष में दस्तावेज अंतरण हेतु विक्रय-पत्र एवं दान-पत्र से संबंधित दस्तावेजों के निबंधन पर देय स्टाम्प ड्यूटी एवं निबंधन शुल्क में 5 प्रतिशत की छूट दी गई है। राज्य सरकार की इस पहल से आने वाले वर्षों में महिलाओं का मकान/जमीन के स्वामित्व में भागीदारी बढ़ेगी।
- राज्य सरकार द्वारा बिहार सशस्त्र बल में नई महिला बटालियन तैयार करने और राज्य के सभी जिलों में महिला थाना स्थापित करने का कार्य किया जा रहा है ।
- महिला सशक्तीकरण एवं जेंडर संबंधी कार्यों के लिए महिला विकास निगम नोडल अभिकरण के रूप में स्थापित है । महिला विकास निगम द्वारा जेंडर रिसोर्स सेंटर की स्थापना की गई है, जो कुशलता से काम कर रहा है और विभिन्न विभागों के सहयोग से लैंगिक संवेदनीकरण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कर रहा है ।
- घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं को मुफ्त मनोवैज्ञानिक और कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के साथ बिहार के सभी 38 जिलों में महिला हेल्पलाईन स्थापित किए गए हैं ।

जेंडर बजट अभी पूर्ण रूप से परिभाषित नहीं हुआ है । इसमें कुछ कमियाँ हो सकती है, लेकिन धीरे-धीरे इसकी बेहतर समझ होती जा रही है । पिछले बजटों में लैंगिक संवेदनशीलता के प्रति जागरूकता बढ़ने के साथ-साथ विभागों द्वारा कार्यक्रमों के उद्देश्यों, क्रियान्वयन संबंधी दिशा-निर्देशों, वित्तीय कसौटियों को महिलाओं के अनुकूल बनाने का प्रयास किया जा रहा है । राज्य सरकार महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए कृतसंकल्पित है ।

\*\*\*\*\*

**जेन्डर बजट 2018-2019 विभागवार विवरणी**

(राशि लाख में)

क्र०	मांग सं०	विभाग का नाम	वित्तीय वर्ष 2017-2018 की आय-व्ययक			वित्तीय वर्ष 2017-2018 के पुनरीक्षित			वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक		
			बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	51	समाज कल्याण विभाग	594957.79	266423.99	28477.20	751349.09	296142.94	86034.56	646035.29	232550.62	127006.69
2	44	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	122457.72	36211.23	0.00	132457.72	41296.59	0.00	129729.89	38918.97	0.00
3	36	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	200139.33	60041.81	0.00	200139.33	60041.81	0.00	261734.00	78520.20	0.00
4	30	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	46913.00	10713.90	2200.00	37013.00	10383.90	700.00	32500.00	9690.00	200.00
5	21	शिक्षा विभाग	1892275.86	569313.99	28504.14	1871865.76	544065.01	76977.62	2554904.39	592487.07	71431.03
6	20	स्वास्थ्य विभाग	271265.56	2240.10	149434.70	316307.56	8949.30	170224.70	296503.20	6812.40	237295.20
7	42	ग्रामीण विकास विभाग	928297.37	86860.00	637764.04	995030.70	106880.00	637764.04	1452159.91	230387.23	684202.50
8	48	नगर विकास एवं आवास विभाग	30299.91	400.00	0.00	21980.91	400.00	0.00	71300.00	21550.00	0.00
9	16	पंचायती राज विभाग	37500.00	18750.00	0.00	42500.00	21250.00	0.00	45000.00	22500.00	0.00
10	26	श्रम संसाधन विभाग	14993.27	0.00	450.00	19074.89	0.00	850.00	39951.61	11670.49	1050.00
11	11	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	153282.07	44595.04	1073.43	153282.07	44595.04	1073.43	152067.64	67863.89	1259.00
12	40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	2763.23	0.00	2763.23	2763.23	0.00	2763.23	2763.23	0.00	2763.23
13	8	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	4845.10	1453.53	0.00	4395.10	1318.53	0.00	4758.58	1427.58	0.00
14	23	उद्योग विभाग	57113.80	17134.14	0.00	57044.80	17113.44	0.00	41218.00	11707.20	0.00
15	1	कृषि विभाग	218553.45	65566.06	0.00	225014.23	67504.33	0.00	217134.82	65140.48	0.00
16	43	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	3919.38	0.00	3919.38	4620.38	0.00	4620.38	5575.94	0.00	5575.94
17	3	भवन निर्माण विभाग	65000.00	19300.00	0.00	65000.00	19300.00	0.00	65100.00	21195.00	0.00
18	22	गृह विभाग	14153.31	5802.86	0.00	18853.31	7729.86	0.00	26669.99	10934.70	0.00
19	46	पर्यटन विभाग	7147.17	2144.15	0.00	7147.17	2144.15	0.00	10801.21	3240.36	0.00
<b>कुल योग-</b>			<b>4665877.32</b>	<b>1206950.80</b>	<b>854586.12</b>	<b>4925839.25</b>	<b>1249114.90</b>	<b>981007.96</b>	<b>6055907.70</b>	<b>1426596.19</b>	<b>1130783.59</b>

\* कुल योग में प्रदर्शित राशि में वैसे उपशीर्षों का योग है जिन उपशीर्षों में जेन्डर बजट के आंकड़े सम्मिलित किये गये हैं ।



**जेन्डर बजट 2018-2019 विभागवार विवरणी**  
**स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय**

(राशि लाख में)

क्र०	विभाग का नाम	वित्तीय वर्ष 2016-2017 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2017-2018 में आय-व्ययक			वित्तीय वर्ष 2017-2018 के पुनरीक्षित			वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक		
		बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	समाज कल्याण विभाग	295.33	0.00	295.33	1037.75	0.00	1037.75	1037.75	0.00	1037.75	1090.73	0.00	1090.73
2	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	9657.62	2897.29	0.00	12733.87	3820.16	0.00	12733.87	3820.16	0.00	15464.89	4639.46	0.00
3	शिक्षा विभाग	411513.67	128617.79	1106.12	532244.10	166552.71	1204.09	555430.67	173616.27	1204.09	702906.02	210505.52	1220.96
4	स्वास्थ्य विभाग	877.99	0.00	0.00	1198.56	0.00	1095.37	1202.56	0.00	1099.37	1677.89	0.00	1677.89
5	पंचायती राज विभाग	6116.56	3058.28	0.00	7500.00	3750.00	0.00	12500.00	6250.00	0.00	10000.00	5000.00	0.00
6	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	1089.54	0.00	1089.54	1073.43	0.00	1073.43	1073.43	0.00	1073.43	1259.00	0.00	1259.00
7	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	1439.83	431.95	0.00	1405.10	421.53	0.00	1405.10	421.53	0.00	1638.58	491.58	0.00
8	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	3412.94	0.00	3412.94	3617.48	0.00	3617.48	4318.48	0.00	4318.48	5375.94	0.00	5375.94
	<b>कुल योग-</b>	<b>434403.48</b>	<b>135005.31</b>	<b>5903.93</b>	<b>560810.29</b>	<b>174544.40</b>	<b>8028.12</b>	<b>589701.86</b>	<b>184107.96</b>	<b>8733.12</b>	<b>739413.05</b>	<b>220636.56</b>	<b>10624.52</b>

\* कुल योग में प्रदर्शित राशि में वैसे उपशीर्षों का योग है जिन उपशीर्ष में जेन्डर बजट के आंकड़े सम्मिलित किये गये हैं ।

जेन्डर बजट 2018-2019 विभागवार विवरणी

राज्य स्कीम

(राशि लाख में)

क्र०	विभाग का नाम	वित्तीय वर्ष 2016-2017 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2017-2018 में आय-व्ययक			वित्तीय वर्ष 2017-2018 के पुनरीक्षित			वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक		
		बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	समाज कल्याण विभाग	481947.62	190407.28	32688.11	593920.04	266423.99	27439.45	750311.34	296142.94	84996.81	644944.56	232550.62	125915.96
2	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	98332.57	29499.77	0.00	104713.85	30888.07	0.00	114713.85	35973.43	0.00	109255.00	32776.51	0.00
3	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	115936.65	34780.98	0.00	200139.33	60041.81	0.00	200139.33	60041.81	0.00	261734.00	78520.20	0.00
4	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	34093.67	9658.10	200.00	46913.00	10713.90	2200.00	37013.00	10383.90	700.00	32500.00	9690.00	200.00
5	शिक्षा विभाग	1046222.52	296131.33	50085.99	1360031.76	402761.28	27300.05	1316435.09	370448.74	75773.53	1851998.37	381981.55	70210.07
6	स्वास्थ्य विभाग	198668.27	0.00	124089.91	270067.00	2240.10	148339.33	315105.00	8949.30	169125.33	294825.31	6812.40	235617.31
7	ग्रामीण विकास विभाग	549078.39	47713.55	390033.22	928297.37	86860.00	637764.04	995030.70	106880.00	637764.04	1452159.91	230387.23	684202.50
8	नगर विकास एवं आवास विभाग	9303.45	574.71	0.00	30299.91	400.00	0.00	21980.91	400.00	0.00	71300.00	21550.00	0.00
9	पंचायती राज विभाग	20330.20	10165.11	0.00	30000.00	15000.00	0.00	30000.00	15000.00	0.00	35000.00	17500.00	0.00
10	श्रम संसाधन विभाग	19233.21	0.00	307.68	14993.27	0.00	450.00	19074.89	0.00	850.00	39951.61	11670.49	1050.00
11	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	144694.77	43101.50	0.00	152208.64	44595.04	0.00	152208.64	44595.04	0.00	150808.64	67863.89	0.00
12	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	378.52	0.00	378.52	2763.23	0.00	2763.23	2763.23	0.00	2763.23	2763.23	0.00	2763.23
13	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	1539.36	461.81	0.00	3440.00	1032.00	0.00	2990.00	897.00	0.00	3120.00	936.00	0.00
14	उद्योग विभाग	43388.69	2265.98	0.00	57113.80	17134.14	0.00	57044.80	17113.44	0.00	41218.00	11707.20	0.00
15	कृषि विभाग	126197.33	37235.01	0.00	218553.45	65566.06	0.00	225014.23	67504.33	0.00	217134.82	65140.48	0.00
16	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	258.35	0.00	258.35	301.90	0.00	301.90	301.90	0.00	301.90	200.00	0.00	200.00
17	भवन निर्माण विभाग	15885.50	3948.00	0.00	65000.00	19300.00	0.00	65000.00	19300.00	0.00	65100.00	21195.00	0.00
18	गृह विभाग	14198.57	5821.41	0.00	14153.31	5802.86	0.00	18853.31	7729.86	0.00	26669.99	10934.70	0.00
19	पर्यटन विभाग	6308.63	0.00	0.00	7147.17	2144.15	0.00	7147.17	2144.15	0.00	10801.21	3240.36	0.00
कुल योग-		2925996.27	711764.54	598041.78	4100057.03	1030903.40	846558.00	4331127.39	1063503.94	972274.84	5311484.65	1204456.63	1120159.07

\* कुल योग में प्रदर्शित राशि में वैसे उपशीर्षों का योग है जिन उपशीर्षों में जेन्डर बजट के आंकड़े सम्मिलित किये गये हैं ।

**जेन्डर बजट 2018-2019 विभागवार विवरणी**  
**केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम**

(राशि लाख में)

क्र०	विभाग का नाम	वित्तीय वर्ष 2016-2017 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2017-2018 में आय-व्ययक			वित्तीय वर्ष 2017-2018 के पुनरीक्षित			वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक		
		बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	-532.92	-159.88	0.00	5010.00	1503.00	0.00	5010.00	1503.00	0.00	5010.00	1503.00	0.00
	<b>कुल योग-</b>	<b>-532.92</b>	<b>-159.88</b>	<b>0.00</b>	<b>5010.00</b>	<b>1503.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5010.00</b>	<b>1503.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5010.00</b>	<b>1503.00</b>	<b>0.00</b>

\* कुल योग में प्रदर्शित राशि में वैसे उपशीर्षों का योग है जिन उपशीर्ष में जेन्डर बजट के आंकड़े सम्मिलित किये गये हैं ।

समाज कल्याण निदेशालय

क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2016-2017 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2017-2018 में आय-व्ययक			वित्तीय वर्ष 2017-2018 के पुनरीक्षित			वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए आय-व्ययक		
				बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
1	राज्य सदन एवं संरक्षण आश्रम-गृह	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	51-2235021040001	119.33	0.00	119.33	187.75	0.00	187.75	187.75	0.00	187.75	190.73	0.00	190.73
2	अन्तर्जातीय विवाह	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	51-2235028000002	176.00	0.00	176.00	700.00	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00
3	बिहार राज्य महिला आयोग	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	51-2235021030003	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	200.00	0.00	200.00
4	महिला विकास निगम सहायक अनुदान	राज्य स्कीम	51-2235021030105	200.00	0.00	200.00	50.00	0.00	50.00	494.00	0.00	494.00	500.00	0.00	500.00
5	बाल दोषी, अनाथ एवं निराश्रित बच्चों के	राज्य स्कीम	51-2235021060106	618.43	0.00	618.43	400.00	0.00	400.00	1000.00	0.00	1000.00	1500.00	0.00	1500.00
6	पर्यवेक्षण गृह, बाल गृह के लिए भवन	राज्य स्कीम	51-4235021020106	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	3.00	0.00
7	प्रदर्शनी सेमिनार, सम्मेलन	राज्य स्कीम	51-2235022000106	0.00	0.00	0.00	1.00	0.30	0.00	20.00	6.00	0.00	20.00	6.00	0.00
8	बाल न्यायालय एवं बाल कल्याण बोर्ड की स्थापना	राज्य स्कीम	51-2235021060107	200.00	60.00	0.00	10.00	3.00	0.00	200.00	60.00	0.00	200.00	60.00	0.00
9	मुख्य मंत्री कन्या विवाह योजना	राज्य स्कीम	51-2235027890107	890.97	0.00	890.97	250.00	0.00	250.00	659.50	0.00	659.50	5162.45	0.00	5162.45
10	मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना	राज्य स्कीम	51-2235027890108	1060.00	0.00	1060.00	75.00	0.00	75.00	852.01	0.00	852.01	1617.75	0.00	1617.75
11	मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना	राज्य स्कीम	51-2235021030109	1366.34	0.00	1366.34	711.57	0.00	711.57	3452.07	0.00	3452.07	4392.27	0.00	4392.27
12	मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना	राज्य स्कीम	51-2235027890109	623.95	0.00	623.95	50.00	0.00	50.00	1028.58	0.00	1028.58	1610.63	0.00	1610.63
13	नारी शक्ति योजना	राज्य स्कीम	51-2235021030110	1400.00	0.00	1400.00	100.00	0.00	100.00	5299.99	0.00	5299.99	5000.00	0.00	5000.00
14	कन्या सुरक्षा योजना	राज्य स्कीम	51-2235021030111	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	6598.70	0.00	6598.70	3500.00	0.00	3500.00
15	विभिन्न संस्थाओं के लिए क्षेत्रीय पदाधिकारियों क	राज्य स्कीम	51-2235021010111	0.00	0.00	0.00	1.00	0.30	0.00	10.00	3.00	0.00	10.00	3.00	0.00
16	परवरिश	राज्य स्कीम	51-2235021020116	1000.00	300.00	0.00	150.00	45.00	0.00	1500.00	450.00	0.00	1500.00	450.00	0.00
17	मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना	राज्य स्कीम	51-2235027960123	19.15	0.00	19.15	307.10	0.00	307.10	307.10	0.00	307.10	1006.90	0.00	1006.90

समाज कल्याण निदेशालय

क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2016-2017 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2017-2018 में आय-व्ययक			वित्तीय वर्ष 2017-2018 के पुनरीक्षित			वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए आय-व्ययक		
				बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
18	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	राज्य स्कीम	51-2235037890201	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28916.09	8674.83	0.00
19	महिला हेल्प लाईन	राज्य स्कीम	51-2235021030220	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	राज्य स्कीम	51-2235037890302	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1400.00	0.00	1400.00
21	इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	राज्य स्कीम	51-2235031010303	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4000.00	0.00	4000.00
22	बिहार सामाजिक संरक्षण परियोजना (विश्व बैंक सम्पोजित)	राज्य स्कीम	51-2235021040504	0.00	0.00	0.00	11429.00	3428.70	0.00	11429.00	3428.70	0.00	6800.00	2040.00	0.00
<b>कुल योग-</b>				<b>7674.17</b>	<b>360.00</b>	<b>6474.17</b>	<b>15623.42</b>	<b>3477.30</b>	<b>3031.42</b>	<b>34898.70</b>	<b>3947.70</b>	<b>20729.70</b>	<b>68236.82</b>	<b>11236.83</b>	<b>30780.73</b>

आई० सी० डी० एस०

क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2016-2017 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2017-2018 में आय-व्ययक			वित्तीय वर्ष 2017-2018 के पुनरीक्षित			वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए आय-व्ययक		
				बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
1	ऑगनवाड़ी केन्द्रों के बच्चों	राज्य स्कीम	51-2235027890103	2777.95	1333.42	0.00	2500.94	825.31	0.00	2500.94	825.31	0.00	2656.60	1275.17	0.00

आई0 सी0 डी0 एस0

क्र0	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2016-2017 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2017-2018 में आय-व्ययक			वित्तीय वर्ष 2017-2018 के पुनरीक्षित			वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए आय-व्ययक		
				बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
2	आंगनवाड़ी केन्द्रों के बच्चों के	राज्य स्कीम	51-2235021020117	5724.11	2747.57	0.00	7503.00	3601.44	0.00	6671.78	3135.74	0.00	7969.79	3745.80	0.00
3	एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस)	राज्य स्कीम	51-2236021010203	40877.10	23299.95	0.00	70691.50	40294.16	0.00	70691.50	40294.16	0.00	70854.16	38969.79	0.00
4	एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस)	राज्य स्कीम	51-2236027890204	6875.85	3919.23	0.00	23563.84	13431.39	0.00	23563.84	13431.39	0.00	56270.69	30948.88	0.00
5	एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आई0 सी0डी0एस0)	राज्य स्कीम	51-4235021020208	1093.20	513.80	0.00	14401.00	6768.47	0.00	14401.00	6768.47	0.00	17968.21	8445.06	0.00
6	इंदिरा गांधी मातृत्व सहायता योजना सहित राष्ट्रीय महिला शक्तिकरण मिशन	राज्य स्कीम	51-2235021030219	0.00	0.00	0.00	5153.46	0.00	5153.46	5153.46	0.00	5153.46	210.00	0.00	210.00
7	एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस)	राज्य स्कीम	51-2235021020222	38135.50	25932.14	0.00	71563.25	49378.64	0.00	71563.25	49378.64	0.00	63407.41	43117.04	0.00
8	एकीकृत बाल संरक्षण स्कीम (आईसीपीएस)	राज्य स्कीम	51-2235021020223	551.62	165.49	0.00	4200.00	1260.00	0.00	4200.00	1260.00	0.00	5500.00	1650.00	0.00
9	किशोरियों के सशक्तिकरण हेतु राजीव गांधी स्कीम (सबला) (किशोरी बालिकाओं के लिए योजना) (एस0ए0ज)	राज्य स्कीम	51-2235021020224	2487.34	0.00	2487.34	154.01	0.00	154.01	12901.28	0.00	12901.28	28901.28	0.00	28901.28
10	मातृत्व लाभ योजना (प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना)	राज्य स्कीम	51-2235021030225	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00	4291.44	0.00	4291.44
11	एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस)	राज्य स्कीम	51-2236021010303	19725.36	11243.45	0.00	26940.91	15356.32	0.00	26940.91	15356.32	0.00	0.01	0.01	0.00
12	एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस)	राज्य स्कीम	51-2236027890304	20978.06	11537.93	0.00	48692.00	26780.60	0.00	48692.00	26780.60	0.00	26815.79	14748.68	0.00
13	एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस)	राज्य स्कीम	51-2236027960305	7143.89	3929.14	0.00	8776.96	4827.33	0.00	8776.96	4827.33	0.00	10546.15	5800.38	0.00

क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2016-2017 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2017-2018 में आय-व्ययक			वित्तीय वर्ष 2017-2018 के पुनरीक्षित			वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए आय-व्ययक		
				बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
14	एकीकृत बाल विकास सेवाएँ (आई० सी० डी० एस०)	राज्य स्कीम	51-4235021020308	735.20	345.54	0.00	1600.02	752.01	0.00	1600.02	752.01	0.00	1380.01	648.60	0.00
15	किशोरियों के सशक्तिकरण हेतु राजीव गांधी स्कीम (सबला) (किशोरी बालिकाओं के लिए योजना) (एस०ए०ज)	राज्य स्कीम	51-2235027890312	768.84	0.00	768.84	1275.66	0.00	1275.66	3125.00	0.00	3125.00	2115.34	0.00	2115.34
16	इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना सहित राष्ट्रीय महिला शक्तिकरण मिशन	राज्य स्कीम	51-2235027890313	9.28	0.00	9.28	858.91	0.00	858.91	858.91	0.00	858.91	26.25	0.00	26.25
17	इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना सहित राष्ट्रीय महिला शक्तिकरण मिशन	राज्य स्कीम	51-2235021030319	18.56	0.00	18.56	2576.73	0.00	2576.73	2576.73	0.00	2576.73	78.75	0.00	78.75
18	एकीकृत बाल विकास सेवाएँ (आईसीडीएस)	राज्य स्कीम	51-2235021020322	39617.78	27732.45	0.00	51586.17	36110.32	0.00	52305.69	36613.98	0.00	16258.19	11380.73	0.00
19	एकीकृत बाल संरक्षण स्कीम (आईसीपीएस)	राज्य स्कीम	51-2235021020323	2000.00	0.00	0.00	2800.00	0.00	0.00	2800.00	0.00	0.00	1833.33	550.00	0.00
20	किशोरियों के सशक्तिकरण हेतु राजीव गांधी स्कीम (सबला) (किशोरी बालिकाओं के लिए योजना) (एस०ए०ज)	राज्य स्कीम	51-2235021020324	1687.80	0.00	1687.80	3827.01	0.00	3827.01	9642.52	0.00	9642.52	7172.90	0.00	7172.90
21	मातृत्व लाभ योजना (प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना)	राज्य स्कीम	51-2235021030325	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00	1430.00	0.00	1430.00
<b>कुल योग-</b>				<b>191207.44</b>	<b>112700.11</b>	<b>4971.82</b>	<b>348665.37</b>	<b>199385.99</b>	<b>13845.78</b>	<b>373965.79</b>	<b>199423.95</b>	<b>39257.90</b>	<b>325686.30</b>	<b>161280.14</b>	<b>44225.96</b>

समाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय

क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2016-2017 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2017-2018 में आय-व्ययक			वित्तीय वर्ष 2017-2018 के पुनरीक्षित			वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए आय-व्ययक		
				बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
1	वृद्धावस्था पेंशन	राज्य स्कीम	51-2235601020101	2299.10	689.73	0.00	3150.00	945.00	0.00	3150.00	945.00	0.00	2000.00	600.00	0.00
2	लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	राज्य स्कीम	51-2235607890102	5001.45	0.00	5001.45	3475.00	0.00	3475.00	7546.96	0.00	7546.96	7400.00	0.00	7400.00
3	कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना	राज्य स्कीम	51-2235022000103	3400.00	1020.00	0.00	300.00	90.00	0.00	3224.00	967.20	0.00	3230.00	969.00	0.00
4	बिहार राज्य विकलांगता सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	राज्य स्कीम	51-2235607890103	5563.57	1669.07	0.00	3400.00	1020.00	0.00	7232.18	2169.65	0.00	10000.00	3000.00	0.00
5	कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना	राज्य स्कीम	51-2235027890104	1600.00	480.00	0.00	100.00	30.00	0.00	1600.00	480.00	0.00	1600.00	480.00	0.00
6	बिहार राज्य विकलांगता सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	राज्य स्कीम	51-2235601020104	20004.49	6001.35	0.00	9200.00	2760.00	0.00	24500.00	7350.00	0.00	23600.00	7080.00	0.00
7	बिहार सामाजिक संरक्षण परियोजना (विश्व बैंक सम्पोषित)	राज्य स्कीम	51-2235021040104	9580.00	2874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना	राज्य स्कीम	51-2235607890104	686.39	205.92	0.00	1095.00	328.50	0.00	1095.00	328.50	0.00	1000.00	300.00	0.00
9	मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना	राज्य स्कीम	51-2235022000105	500.00	150.00	0.00	60.00	18.00	0.00	500.00	150.00	0.00	500.00	150.00	0.00
10	लक्ष्मी बाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	राज्य स्कीम	51-2235601020105	16536.00	0.00	16536.00	8125.00	0.00	8125.00	18500.00	0.00	18500.00	19600.00	0.00	19600.00
11	बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना	राज्य स्कीम	51-2235021040106	1500.00	450.00	0.00	200.00	60.00	0.00	1260.00	378.00	0.00	1700.00	510.00	0.00
12	निर्धनों एवं निराश्रितों का कल्याण	राज्य स्कीम	51-2235021010106	150.00	45.00	0.00	1.00	0.30	0.00	1.00	0.30	0.00	200.00	60.00	0.00
13	मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना	राज्य स्कीम	51-2235021040107	0.00	0.00	0.00	20.00	6.00	0.00	1020.00	306.00	0.00	1020.00	306.00	0.00
14	मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तिकरण योजना (सम्बल)	राज्य स्कीम	51-2235027890111	300.91	90.27	0.00	75.00	22.50	0.00	75.00	22.50	0.00	100.00	30.00	0.00



सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय

क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2016-2017 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2017-2018 में आय-व्ययक			वित्तीय वर्ष 2017-2018 के पुनरीक्षित			वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए आय-व्ययक		
				बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
15	बिहार शताब्दी एड्स पीड़ित कल्याण योजना	राज्य स्कीम	51-2210061010113	1100.00	330.00	0.00	1.00	0.30	0.00	1001.00	300.30	0.00	1000.00	300.00	0.00
16	मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तिकरण योजना (सम्बल)	राज्य स्कीम	51-2235021010119	650.30	195.09	0.00	225.00	67.50	0.00	225.00	67.50	0.00	200.00	60.00	0.00
17	मुख्यमंत्री तेजाब पीड़ित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	राज्य स्कीम	51-2235602000119	0.00	0.00	0.00	1.00	0.30	0.00	201.00	60.30	0.00	200.00	60.00	0.00
18	मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना	राज्य स्कीम	51-2235021010121	50.00	15.00	0.00	1.00	0.30	0.00	26.00	7.80	0.00	50.00	15.00	0.00
19	इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	राज्य स्कीम	51-2235031010201	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73500.00	22050.00	0.00
20	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनओएसओपीओ)	राज्य स्कीम	51-2235037960201	0.00	0.00	0.00	5612.97	1683.89	0.00	5612.97	1683.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	राज्य स्कीम	51-2235037890202	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6500.00	0.00	6500.00
22	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी)	राज्य स्कीम	51-2235031020202	4000.00	0.00	0.00	7200.00	0.00	0.00	7200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	राज्य स्कीम	51-2235037960203	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7296.95	2189.09	0.00
24	इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	राज्य स्कीम	51-2235031010203	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18500.00	0.00	18500.00
25	राष्ट्रीय परिवार हित लाभ योजना	राज्य स्कीम	51-2235031020203	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7386.96	2216.09	0.00
26	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी)	राज्य स्कीम	51-2235031010204	87699.13	26309.74	0.00	106613.07	31983.92	0.00	106613.07	31983.92	0.00	0.00	0.00	0.00
27	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी)	राज्य स्कीम	51-2235037890205	29000.00	8700.00	0.00	46313.96	13894.19	0.00	46313.96	13894.19	0.00	0.00	0.00	0.00
28	असहाय लोगों के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम	राज्य स्कीम	51-2235021010220	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

समाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय

क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2016-2017 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2017-2018 में आय-व्ययक			वित्तीय वर्ष 2017-2018 के पुनरीक्षित			वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए आय-व्ययक		
				बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
29	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	राज्य स्कीम	51-2235037890301	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19058.48	5717.54	0.00
30	इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	राज्य स्कीम	51-2235031010301	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45969.78	13790.93	0.00
31	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	राज्य स्कीम	51-2235037960303	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	150.00	0.00
32	राष्ट्रीय परिवार हित लाभ योजना	राज्य स्कीम	51-2235031020303	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी)	राज्य स्कीम	51-2235031010304	68740.00	20622.00	0.00	24000.00	7200.00	0.00	74000.00	22200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी)	राज्य स्कीम	51-2235037890305	25000.00	7500.00	0.00	11500.00	3450.00	0.00	31587.46	9476.24	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>कुल योग-</b>				<b>283361.34</b>	<b>77347.17</b>	<b>21537.45</b>	<b>230669.00</b>	<b>63560.70</b>	<b>11600.00</b>	<b>342484.60</b>	<b>92771.29</b>	<b>26046.96</b>	<b>252112.17</b>	<b>60033.65</b>	<b>52000.00</b>
<b>महायोग-</b>				<b>482242.95</b>	<b>190407.28</b>	<b>32983.44</b>	<b>594957.79</b>	<b>266423.99</b>	<b>28477.20</b>	<b>751349.09</b>	<b>296142.94</b>	<b>86034.56</b>	<b>646035.29</b>	<b>232550.62</b>	<b>127006.69</b>

अनुसूचित जाति

क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2016-2017 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2017-2018 में आय-व्ययक			वित्तीय वर्ष 2017-2018 के पुनरीक्षित			वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए आय-व्ययक		
				बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णाकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णाकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णाकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णाकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णाकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णाकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णाकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णाकित (श्रेणी- 1)
1	प्रवेशिकोत्तर शिक्षा	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	44-2225011970001	3.70	1.11	0.00	15.00	4.50	0.00	15.00	4.50	0.00	15.00	4.50	0.00
2	प्रवेशिकोत्तर शिक्षा	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	44-2225011980001	37.85	11.36	0.00	50.00	15.00	0.00	50.00	15.00	0.00	50.00	15.00	0.00
3	छात्रावासों का संधारण	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	44-2225012770002	567.26	170.18	0.00	994.77	298.43	0.00	994.77	298.43	0.00	998.78	299.63	0.00
4	छात्रवृत्ति/वजीफा	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	44-2225011970002	9.49	2.85	0.00	15.00	4.50	0.00	15.00	4.50	0.00	15.00	4.50	0.00
5	आवासीय विद्यालय	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	44-2225012770003	7459.08	2237.72	0.00	9777.66	2933.30	0.00	9777.66	2933.30	0.00	12464.63	3739.39	0.00
6	प्रवेशिकोत्तर शिक्षा	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	44-2225012770007	1027.81	308.34	0.00	200.00	60.00	0.00	200.00	60.00	0.00	200.00	60.00	0.00
7	पुस्तक अधिकोष की स्थापना	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	44-2225012770008	4.50	1.35	0.00	16.00	4.80	0.00	16.00	4.80	0.00	16.00	4.80	0.00
8	नागरिक सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	44-2225012770009	0.00	0.00	0.00	0.10	0.03	0.00	0.10	0.03	0.00	0.10	0.03	0.00
9	छात्रवृत्तियाँ और वृत्तियाँ	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	44-2225012770011	84.70	25.41	0.00	1080.00	324.00	0.00	1080.00	324.00	0.00	1080.00	324.00	0.00
10	प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	44-2225012770012	137.43	41.23	0.00	261.81	78.54	0.00	261.81	78.54	0.00	274.61	82.38	0.00
11	छात्रवृत्ति/वजीफा	राज्य स्कीम	44-2225011970101	11254.33	3376.30	0.00	7710.73	2313.22	0.00	7710.73	2313.22	0.00	7710.73	2313.22	0.00
12	छात्रवृत्ति/वजीफा	राज्य स्कीम	44-2225011980101	20980.30	6294.09	0.00	14391.00	4317.30	0.00	14391.00	4317.30	0.00	14391.00	4317.30	0.00
13	शिक्षा	राज्य स्कीम	44-2225012770101	1217.84	365.35	0.00	1650.00	495.00	0.00	1650.00	495.00	0.00	1650.00	495.00	0.00
14	निदेशन और प्रशासन	राज्य स्कीम	44-2225010010101	51.36	15.41	0.00	50.00	15.00	0.00	50.00	15.00	0.00	50.00	15.00	0.00
15	परिवारोन्मुखी आयोत्पादक योजना हेतु 5 प्रतिशत अं	राज्य स्कीम	44-2225011020101	7.34	2.20	0.00	50.00	15.00	0.00	50.00	15.00	0.00	50.00	15.00	0.00
16	शिक्षा	राज्य स्कीम	44-2225012770107	24173.94	7252.18	0.00	13491.00	5009.21	0.00	23114.22	8582.31	0.00	20059.55	6017.87	0.00
17	महादलित विकास हेतु	राज्य स्कीम	44-2225011020115	25030.00	7509.00	0.00	27530.00	8259.00	0.00	27530.00	8259.00	0.00	28000.00	8400.00	0.00

क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2016-2017 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2017-2018 में आय-व्ययक			वित्तीय वर्ष 2017-2018 के पुनरीक्षित			वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए आय-व्ययक		
				बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
18	बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम	राज्य स्कीम	44-4425001080164	100.00	30.00	0.00	400.00	120.00	0.00	400.00	120.00	0.00	400.00	120.00	0.00
19	अनुसूचित जातियों के विकास हेतु स्कीम	राज्य स्कीम	44-2225012770218	4865.91	1459.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	प्रोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	राज्य स्कीम	44-2225012770219	0.00	0.00	0.00	6000.00	1800.00	0.00	6000.00	1800.00	0.00	6000.00	1800.00	0.00
21	नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1955 के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक यंत्र का सुदृढीकरण एवं अनु० जाति और अनु०	राज्य स्कीम	44-2225012770221	0.00	0.00	0.00	1220.00	366.00	0.00	1220.00	366.00	0.00	1220.00	366.00	0.00
22	अनुसूचित जाति के छात्र एवं छात्राओं के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति	राज्य स्कीम	44-2225012770222	0.00	0.00	0.00	4910.00	0.00	0.00	4910.00	1473.00	0.00	5000.00	1500.00	0.00
23	प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पी०एम०ए०जी०वाई)	राज्य स्कीम	44-2225011020316	0.00	0.00	0.00	5.00	1.50	0.00	5.00	1.50	0.00	5.00	1.50	0.00
24	अनुसूचित जातियों के विकास हेतु स्कीम	राज्य स्कीम	44-2225012770318	564.16	169.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	प्रोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	राज्य स्कीम	44-2225012770319	0.00	0.00	0.00	6000.00	1800.00	0.00	6000.00	1800.00	0.00	5800.00	1740.00	0.00
26	नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1955 के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक यंत्र का सुदृढीकरण एवं अनु० जाति और अनु०	राज्य स्कीम	44-2225012770321	0.00	0.00	0.00	1220.00	366.00	0.00	1220.00	366.00	0.00	1220.00	366.00	0.00
<b>कुल योग-</b>				<b>97577.00</b>	<b>29273.10</b>	<b>0.00</b>	<b>97038.07</b>	<b>28600.33</b>	<b>0.00</b>	<b>106661.29</b>	<b>33646.43</b>	<b>0.00</b>	<b>106670.40</b>	<b>32001.12</b>	<b>0.00</b>

अनुसूचित जन-जाति

क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2016-2017 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2017-2018 में आय-व्ययक			वित्तीय वर्ष 2017-2018 के पुनरीक्षित			वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए आय-व्ययक		
				बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
1	छात्रवृत्तियां और वृत्तियां	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	44-2225022770001	131.58	39.47	0.00	14.00	4.20	0.00	14.00	4.20	0.00	14.00	4.20	0.00
2	आयुर्वेदिक एवं ठक्कर कुष्ठ निवारण केंद्रों का	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	44-2225022820001	97.29	29.19	0.00	143.74	43.12	0.00	143.74	43.12	0.00	165.03	49.51	0.00
3	लड़के एवं लड़कियों का छात्रावास	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	44-2225022770003	96.93	29.08	0.00	165.79	49.74	0.00	165.79	49.74	0.00	171.74	51.52	0.00
4	छात्रवृत्ति/वजीफा	राज्य स्कीम	44-2225021970101	1689.43	506.83	0.00	2238.00	671.40	0.00	2238.00	671.40	0.00	1438.00	431.40	0.00
5	छात्रवृत्ति/वजीफा	राज्य स्कीम	44-2225021980101	2806.89	842.07	0.00	6717.12	2015.14	0.00	6717.12	2015.14	0.00	5317.12	1595.14	0.00
6	शिक्षा	राज्य स्कीम	44-2225022770101	2153.28	645.98	0.00	3705.00	1111.50	0.00	3785.87	1135.76	0.00	3217.60	965.28	0.00
7	अनुसूचित जन जातियों का बहुमुखी विकास-संविधान की	राज्य स्कीम	44-2225021020101	433.92	130.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	अनुसूचित जन जातियों के	राज्य स्कीम	44-2225021020102	496.48	148.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	अम्बेदकर फाउण्डेशन	राज्य स्कीम	44-2070000010106	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	15.00	0.00	50.00	15.00	0.00
10	थरूहट क्षेत्र विकास	राज्य स्कीम	44-2225027960125	2507.39	752.22	0.00	2761.00	828.30	0.00	2761.00	828.30	0.00	2761.00	828.30	0.00
11	अनुसूचित जन जातियों का बहुमुखी विकास-संविधान की धारा 275(1) के अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त	राज्य स्कीम	44-2225021020201	0.00	0.00	0.00	1800.00	540.00	0.00	1800.00	540.00	0.00	1800.00	540.00	0.00
12	अनुसूचित जन जातियों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	राज्य स्कीम	44-2225021020202	0.00	0.00	0.00	1800.00	540.00	0.00	1800.00	540.00	0.00	1800.00	540.00	0.00
13	अनुसूचित जनजाति के छात्रों की शिक्षा के लिए अम्बेला स्कीम	राज्य स्कीम	44-2225022770214	0.00	0.00	0.00	1015.00	304.50	0.00	1015.00	304.50	0.00	715.00	214.50	0.00
14	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	राज्य स्कीम	44-2225022770216	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	90.00	0.00
15	विशेष रूप से कमजोर जनजातियें समूहों के विकास	राज्य स्कीम	44-2225027960228	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.91	0.00	0.00	300.00	90.00	0.00
16	अनुसूचित जाति के बहुमुखी विकास	केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम	44-2225017930401	-964.56	-289.37	0.00	5000.00	1500.00	0.00	5000.00	1500.00	0.00	5000.00	1500.00	0.00

अनुसूचित जन-जाति

क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2016-2017 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2017-2018 में आय-व्ययक			वित्तीय वर्ष 2017-2018 के पुनरीक्षित			वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए आय-व्ययक		
				बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णाकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णाकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णाकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णाकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णाकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णाकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णाकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णाकित (श्रेणी- 1)
17	वनबन्धु कल्याण योजना	केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम	44-2225027960427	431.64	129.49	0.00	10.00	3.00	0.00	10.00	3.00	0.00	10.00	3.00	0.00
<b>कुल योग-</b>				<b>9880.27</b>	<b>2964.08</b>	<b>0.00</b>	<b>25419.65</b>	<b>7610.90</b>	<b>0.00</b>	<b>25796.43</b>	<b>7650.16</b>	<b>0.00</b>	<b>23059.49</b>	<b>6917.85</b>	<b>0.00</b>
<b>महायोग-</b>				<b>107457.27</b>	<b>32237.18</b>	<b>0.00</b>	<b>122457.72</b>	<b>36211.23</b>	<b>0.00</b>	<b>132457.72</b>	<b>41296.59</b>	<b>0.00</b>	<b>129729.89</b>	<b>38918.97</b>	<b>0.00</b>

क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2016-2017 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2017-2018 में आय-व्ययक			वित्तीय वर्ष 2017-2018 के पुनरीक्षित			वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए आय-व्ययक		
				बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
1	ग्रामीण जलापूर्ति योजना	राज्य स्कीम	36-4215011020101	1234.04	370.21	0.00	1650.00	495.00	0.00	1650.00	495.00	0.00	500.00	150.00	0.00
2	ग्रामीण जलापूर्ति योजना	राज्य स्कीम	36-4215017890102	2679.70	803.91	0.00	320.00	96.00	0.00	320.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	ग्रामीण जलापूर्ति योजना (	राज्य स्कीम	36-4215011020103	12454.76	3736.43	0.00	10170.00	3051.00	0.00	10170.00	3051.00	0.00	2040.00	612.00	0.00
4	शहरी क्षेत्रों में पेय जलापूर्ति एवं स्वच्छता सुविधा	राज्य स्कीम	36-4215021060104	1463.58	439.07	0.00	3150.00	945.00	0.00	3150.00	945.00	0.00	1000.00	300.00	0.00
5	मुख्य मंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र)	राज्य स्कीम	36-2215017890104	0.00	0.00	0.00	3200.00	960.00	0.00	3200.00	960.00	0.00	8000.00	2400.00	0.00
6	ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजलापूर्ति के लिए संरचना	राज्य स्कीम	36-4215017890104	1047.00	314.10	0.00	445.29	133.59	0.00	445.29	133.59	0.00	0.00	0.00	0.00
7	मुख्य मंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र)	राज्य स्कीम	36-2215017960105	0.00	0.00	0.00	176.00	52.80	0.00	176.00	52.80	0.00	500.00	150.00	0.00
8	लोहिया स्वच्छता योजना	राज्य स्कीम	36-4215021060105	2390.00	717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	मुख्य मंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र)	राज्य स्कीम	36-2215011020106	0.00	0.00	0.00	16624.00	4987.20	0.00	16624.00	4987.20	0.00	41500.00	12450.00	0.00
10	ग्रामीण जलापूर्ति योजना (टयूबवैल्स, कूप, नलकूप)	राज्य स्कीम	36-4215017960107	196.89	59.07	0.00	200.00	60.00	0.00	200.00	60.00	0.00	60.00	18.00	0.00
11	ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजलापूर्ति के लिए संरचना का	राज्य स्कीम	36-4215017960109	54.68	16.40	0.00	42.56	12.77	0.00	42.56	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00
12	ग्रामीण जलापूर्ति योजना-	राज्य स्कीम	36-4215017890111	1991.71	597.51	0.00	3630.00	1089.00	0.00	3630.00	1089.00	0.00	500.00	150.00	0.00
13	मुख्य मंत्री पेयजल निश्चय योजना (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र)	राज्य स्कीम	36-4215017890114	0.00	0.00	0.00	15200.00	4560.00	0.00	15200.00	4560.00	0.00	16921.44	5076.43	0.00
14	ग्रामीण जलापूर्ति योजना	राज्य स्कीम	36-4215017960115	19.74	5.92	0.00	30.00	9.00	0.00	30.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजलापूर्ति के लिए संरचना का ि	राज्य स्कीम	36-4215011020116	4632.32	1389.70	0.00	2246.15	673.85	0.00	2246.15	673.85	0.00	2734.00	820.20	0.00

क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2016-2017 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2017-2018 में आय-व्ययक			वित्तीय वर्ष 2017-2018 के पुनरीक्षित			वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए आय-व्ययक		
				बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
16	मुख्य मंत्री पेयजल निश्चय योजना (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र)	राज्य स्कीम	36-4215017960119	0.00	0.00	0.00	810.00	243.00	0.00	810.00	243.00	0.00	666.34	199.90	0.00
17	ग्रामीण जलापूर्ति एवं स्वच्छता कार्यक्रम (विश्व बैंक सम्पोषित)	राज्य स्कीम	36-4215011020131	5000.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	मुख्य मंत्री पेयजल निश्चय योजना (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र)	राज्य स्कीम	36-4215011020132	0.00	0.00	0.00	78912.00	23673.60	0.00	78912.00	23673.60	0.00	92312.22	27693.67	0.00
19	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	राज्य स्कीम	36-4215017890212	5842.20	1752.66	0.00	5500.00	1650.00	0.00	5500.00	1650.00	0.00	9000.00	2700.00	0.00
20	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	राज्य स्कीम	36-4215017960217	884.50	265.35	0.00	450.00	135.00	0.00	450.00	135.00	0.00	1000.00	300.00	0.00
21	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	राज्य स्कीम	36-4215011020230	22273.30	6681.99	0.00	29050.00	8715.00	0.00	29050.00	8715.00	0.00	30000.00	9000.00	0.00
22	ग्रामीण जलापूर्ति एवं स्वच्छता कार्यक्रम (आरडब्लूएसएस-एलआईएस)	राज्य स्कीम	36-4215011020231	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15000.00	4500.00	0.00
23	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	राज्य स्कीम	36-4215017890312	11228.95	3368.68	0.00	3863.00	1158.90	0.00	3863.00	1158.90	0.00	7600.00	2280.00	0.00
24	निर्मल भारत अभियान	राज्य स्कीम	36-4215017890313	1056.00	316.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	राज्य स्कीम	36-4215017960317	977.20	293.16	0.00	301.33	90.40	0.00	301.33	90.40	0.00	400.00	120.00	0.00
26	निर्मल भारत अभियान	राज्य स्कीम	36-4215017960318	105.00	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	निर्मल भारत अभियान	राज्य स्कीम	36-4215011020329	4118.00	1235.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	राज्य स्कीम	36-4215011020330	36287.08	10886.12	0.00	19169.00	5750.70	0.00	19169.00	5750.70	0.00	32000.00	9600.00	0.00
29	ग्रामीण जलापूर्ति एवं स्वच्छता कार्यक्रम (विश्व बैंक सम्पोषित)	राज्य स्कीम	36-4215011020531	0.00	0.00	0.00	5000.00	1500.00	0.00	5000.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00



क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2016-2017 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2017-2018 में आय-व्ययक			वित्तीय वर्ष 2017-2018 के पुनरीक्षित			वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए आय-व्ययक		
				बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
<b>कुल योग-</b>				115936.65	34780.98	0.00	200139.33	60041.81	0.00	200139.33	60041.81	0.00	261734.00	78520.20	0.00
<b>महायोग-</b>				115936.65	34780.98	0.00	200139.33	60041.81	0.00	200139.33	60041.81	0.00	261734.00	78520.20	0.00

क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2016-2017 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2017-2018 में आय-व्ययक			वित्तीय वर्ष 2017-2018 के पुनरीक्षित			वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए आय-व्ययक		
				बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णाकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णाकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णाकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णाकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णाकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णाकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णाकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णाकित (श्रेणी- 1)
1	मुख्य मंत्री अल्पसंख्यक शिक्षा ऋण योजना	राज्य स्कीम	30-7465001900101	1500.00	0.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	मुस्लिम परित्यक्ता को सहायता के रूप	राज्य स्कीम	30-2250001010101	200.00	0.00	200.00	2200.00	0.00	2200.00	700.00	0.00	700.00	200.00	0.00	200.00
3	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	राज्य स्कीम	30-2225042770101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2200.00	660.00	0.00
4	अल्पसंख्यक वर्ग के कामगारों को प्रशिक्षण	राज्य स्कीम	30-2250000030101	200.00	0.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	800.00	240.00	0.00
5	बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम के हिस्सापूंजी के रू	राज्य स्कीम	30-5465011900104	8511.08	2553.32	0.00	6000.00	1800.00	0.00	10800.00	3240.00	0.00	10800.00	3240.00	0.00
6	अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को लोक सेवा	राज्य स्कीम	30-2202031070106	0.00	0.00	0.00	2100.00	630.00	0.00	1100.00	330.00	0.00	500.00	150.00	0.00
7	मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना	राज्य स्कीम	30-2202021070109	11961.63	3588.49	0.00	7183.00	2154.90	0.00	5183.00	1554.90	0.00	5100.00	1530.00	0.00
8	अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम	राज्य स्कीम	30-4250000510207	8187.96	2456.39	0.00	12900.00	3870.00	0.00	10900.00	3270.00	0.00	10300.00	3090.00	0.00
9	अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम	राज्य स्कीम	30-2202021070210	0.00	0.00	0.00	120.00	36.00	0.00	20.00	6.00	0.00	100.00	30.00	0.00
10	अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम	राज्य स्कीम	30-4250000510307	3533.00	1059.90	0.00	7410.00	2223.00	0.00	6610.00	1983.00	0.00	2500.00	750.00	0.00
<b>कुल योग-</b>				<b>34093.67</b>	<b>9658.10</b>	<b>200.00</b>	<b>46913.00</b>	<b>10713.90</b>	<b>2200.00</b>	<b>37013.00</b>	<b>10383.90</b>	<b>700.00</b>	<b>32500.00</b>	<b>9690.00</b>	<b>200.00</b>
<b>महायोग-</b>				<b>34093.67</b>	<b>9658.10</b>	<b>200.00</b>	<b>46913.00</b>	<b>10713.90</b>	<b>2200.00</b>	<b>37013.00</b>	<b>10383.90</b>	<b>700.00</b>	<b>32500.00</b>	<b>9690.00</b>	<b>200.00</b>

प्राथमिक शिक्षा

क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2016-2017 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2017-2018 में आय-व्ययक			वित्तीय वर्ष 2017-2018 के पुनरीक्षित			वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए आय-व्ययक		
				बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
1	नगर शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	21-2202011910001	2266.68	793.34	0.00	3000.00	1050.00	0.00	3020.01	1057.00	0.00	3208.00	962.40	0.00
2	नगर शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	21-2202011920001	2903.72	1016.30	0.00	3500.00	1225.00	0.00	3540.01	1239.00	0.00	4000.00	1200.00	0.00
3	नगर शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	21-2202011930001	4079.93	1427.97	0.00	4600.00	1610.00	0.00	4640.01	1624.00	0.00	5000.00	1500.00	0.00
4	पंचायत शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	21-2202011980002	-6.44	-2.25	0.00	1300.00	455.00	0.00	1300.00	455.00	0.00	1400.00	420.00	0.00
5	प्रखंड शिक्षक एवं शारीरिक शिक्षक के समेकित भुगतान हेतु	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	21-2202011970002	94309.00	33008.15	0.00	125300.00	43855.00	0.00	125400.01	43890.00	0.00	130000.00	39000.00	0.00
6	मुख्यमंत्री पोशाक योजना	राज्य स्कीम	21-2202011090101	27455.75	8236.73	0.00	8000.00	2400.00	0.00	23000.00	6900.00	0.00	25000.00	7500.00	0.00
7	प्राथमिक शिक्षा निदेशालय	राज्य स्कीम	21-2202010010101	7.78	2.33	0.00	100.00	30.00	0.00	100.00	30.00	0.00	20.00	6.00	0.00
8	प्रौढ़ शिक्षा	राज्य स्कीम	21-2202047890101	34084.68	10225.40	0.00	16208.99	4862.70	0.00	31836.84	9551.05	0.00	25493.85	7648.16	0.00
9	सर्व शिक्षा अभियान (एसओएसओ)	राज्य स्कीम	21-2202011110101	0.00	0.00	0.00	200.00	60.00	0.00	1894.74	568.42	0.00	5500.01	1650.00	0.00
10	मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना	राज्य स्कीम	21-2202011090102	16263.30	0.00	16263.30	10000.00	0.00	10000.00	17000.00	0.00	17000.00	15000.00	0.00	15000.00
11	मुख्यमंत्री पोशाक योजना	राज्य स्कीम	21-2202017890102	4188.33	1256.50	0.00	2000.00	600.00	0.00	7000.00	2100.00	0.00	6000.00	1800.00	0.00
12	शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के आलोक में	राज्य स्कीम	21-2202011020102	459.83	137.95	0.00	2500.00	750.00	0.00	9000.00	2700.00	0.00	4000.00	1200.00	0.00
13	प्रौढ़ शिक्षा	राज्य स्कीम	21-2202042000102	1560.00	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	राज्य शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान निदेशालय	राज्य स्कीम	21-2202800010102	331.97	99.59	0.00	200.01	60.00	0.00	800.01	240.00	0.00	600.00	180.00	0.00
15	मध्य विद्यालयों की बालिकाओं को कराटे प्रशिक्षण हेतु अनुदान	राज्य स्कीम	21-2204001010103	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
16	मध्य विद्यालयों के छात्रों का परिभ्रमण	राज्य स्कीम	21-2202011090103	380.19	114.06	0.00	5845.00	1753.50	0.00	5845.00	1753.50	0.00	3000.00	900.00	0.00

प्राथमिक शिक्षा

क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2016-2017 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2017-2018 में आय-व्ययक			वित्तीय वर्ष 2017-2018 के पुनरीक्षित			वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए आय-व्ययक		
				बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
17	प्राथमिक एवं मध्य निजी विद्यालयों को अनुदान	राज्य स्कीम	21-2202011020103	0.00	0.00	0.00	1.00	0.30	0.00	1.00	0.30	0.00	0.01	0.00	0.00
18	राजकीय एवं राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालयों के भवन निम	राज्य स्कीम	21-4202012020103	17863.03	5358.91	0.00	8000.00	2400.00	0.00	37785.00	11335.50	0.00	4695.65	1408.70	0.00
19	शैक्षणिक सेमिनार कार्यशाला एवं विभिन्न शैक्षणिक	राज्य स्कीम	21-2202010010105	1583.61	475.08	0.00	500.00	150.00	0.00	5500.00	1650.00	0.00	500.00	150.00	0.00
20	प्रारंभिक विद्यालयों में छात्रवृत्ति	राज्य स्कीम	21-2202011090105	12067.96	3620.39	0.00	351.92	105.58	0.00	12351.92	3705.58	0.00	12500.00	3750.00	0.00
21	ए०एन० सिन्हा सामाजिक शिक्षा संस्थान, पटना	राज्य स्कीम	21-2202800040106	0.00	0.00	0.00	25.00	7.50	0.00	25.00	7.50	0.00	25.00	7.50	0.00
22	जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार	राज्य स्कीम	21-2202010010106	687.45	206.23	0.00	600.01	180.00	0.00	700.01	210.00	0.00	550.01	165.00	0.00
23	बिहार बाल भवन को अनुदान	राज्य स्कीम	21-2202010010107	300.00	90.00	0.00	400.00	120.00	0.00	400.00	120.00	0.00	400.00	120.00	0.00
24	ललित नारायण मिश्र इंस्टीच्यूट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमे	राज्य स्कीम	21-2202800040108	0.00	0.00	0.00	40.00	12.00	0.00	240.00	72.00	0.00	0.01	0.00	0.00
25	सर्व शिक्षा अभियान	राज्य स्कीम	21-2202017960109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	बिहार राज्य भाषा अकादमी	राज्य स्कीम	21-2202800040121	35.00	10.50	0.00	45.00	13.50	0.00	110.00	33.00	0.00	50.00	15.00	0.00
27	सर्व शिक्षा अभियान (एस०एस०ए०)	राज्य स्कीम	21-2202011110201	417817.33	125345.20	0.00	493387.75	148016.33	0.00	185479.75	55643.93	0.00	510653.23	153195.97	0.00
28	प्राथमिक शिक्षा हेतु पोषणगत समर्थन का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एमडीएम)	राज्य स्कीम	21-2202011120203	114257.02	34277.11	0.00	157803.13	47340.94	0.00	157803.13	47340.94	0.00	130287.74	39086.32	0.00
29	सर्व शिक्षा अभियान	राज्य स्कीम	21-2202017890203	0.00	0.00	0.00	144520.12	43356.04	0.00	74520.12	22356.04	0.00	149346.77	44804.03	0.00
30	अध्यापक प्रशिक्षण और प्रौढ़ शिक्षा सहित शैक्षिक विकास हेतु समर्थन	राज्य स्कीम	21-2202042000203	2340.71	702.21	0.00	2000.00	600.00	0.00	2000.00	600.00	0.00	100.00	30.00	0.00

क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2016-2017 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2017-2018 में आय-व्ययक			वित्तीय वर्ष 2017-2018 के पुनरीक्षित			वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए आय-व्ययक		
				बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
31	राष्ट्रीय शिक्षा मिशन - साक्षर भारत	राज्य स्कीम	21-2202042000204	0.00	0.00	0.00	8910.00	2673.00	0.00	8910.00	2673.00	0.00	15.00	4.50	0.00
32	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान	राज्य स्कीम	21-4202012030207	660.00	0.00	0.00	8000.00	0.00	0.00	8000.00	0.00	0.00	6000.00	0.00	0.00
33	सर्व शिक्षा अभियान (एसओएसओएओ)	राज्य स्कीम	21-2202011110301	181788.13	54536.44	0.00	145782.11	43734.63	0.00	405782.11	121734.63	0.00	118410.18	35523.05	0.00
34	सर्व शिक्षा अभियान के केन्द्रांश मद में प्राप्त कम राशि की राज्य संसाधन द्वारा पूर्ति	राज्य स्कीम	21-2202011110302	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500000.00	0.00	0.00
35	प्राथमिक शिक्षा हेतु पोषणगत समर्थन का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एमडीएम)	राज्य स्कीम	21-2202011120303	36.00	10.80	0.00	85445.00	25633.50	0.00	85445.00	25633.50	0.00	77000.00	23100.00	0.00
36	राष्ट्रीय शिक्षा मिशन - साक्षर भारत	राज्य स्कीम	21-2202042000304	0.00	0.00	0.00	5940.00	1782.00	0.00	5940.00	1782.00	0.00	6.30	1.89	0.00
37	प्राथमिक शिक्षा हेतु पोषणगत समर्थन का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एमडीएम)	राज्य स्कीम	21-2202017890306	66963.96	20089.19	0.00	19757.09	5927.13	0.00	19757.09	5927.13	0.00	9858.49	2957.55	0.00
38	सर्वशिक्षा अभियान(एसओएसओएओ)	राज्य स्कीम	21-2202017890308	61651.68	18495.50	0.00	40000.00	12000.00	0.00	40000.00	12000.00	0.00	100940.97	30282.29	0.00
39	सर्व शिक्षा अभियान	राज्य स्कीम	21-2202017960309	0.00	0.00	0.00	14217.89	4265.37	0.00	14217.89	4265.37	0.00	19059.03	5717.71	0.00
<b>कुल योग-</b>				<b>1066336.60</b>	<b>320001.63</b>	<b>16263.30</b>	<b>1318480.03</b>	<b>397029.02</b>	<b>10000.01</b>	<b>1299344.66</b>	<b>389198.39</b>	<b>17000.01</b>	<b>1868620.25</b>	<b>404286.07</b>	<b>15000.00</b>

माध्यमिक शिक्षा

क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2016-2017 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2017-2018 में आय-व्ययक			वित्तीय वर्ष 2017-2018 के पुनरीक्षित			वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए आय-व्ययक		
				बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
1	जिला परिषद माध्यमिक शिक्षकों	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	21-2202021960001	59721.54	17916.46	0.00	80000.00	24000.00	0.00	89305.45	26791.64	0.00	80000.00	24000.00	0.00
2	नगर माध्यमिक शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	21-2202021910001	5966.09	1789.83	0.00	9464.64	2839.39	0.00	9484.65	2845.40	0.00	12400.00	3720.00	0.00
3	नगर माध्यमिक शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	21-2202021920001	6808.24	2042.47	0.00	8000.65	2400.20	0.00	9914.75	2974.43	0.00	9850.00	2955.00	0.00
4	नगर माध्यमिक शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	21-2202021930001	6357.61	2225.16	0.00	7113.91	2489.87	0.00	9065.87	3173.05	0.00	8500.00	2550.00	0.00
5	माध्यमिक शिक्षा निदेशालय	राज्य स्कीम	21-2202020010101	5228.93	0.00	5228.93	2500.04	0.00	2500.04	5650.04	0.00	5650.04	0.03	0.00	0.03
6	मुख्य मंत्री बालिका साईकिल योजना	राज्य स्कीम	21-2202027890102	2993.63	0.00	2993.63	1000.00	0.00	1000.00	3466.32	0.00	3466.32	1500.00	0.00	1500.00
7	मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना	राज्य स्कीम	21-2202027890104	2091.33	0.00	2091.33	500.00	0.00	500.00	2596.20	0.00	2596.20	2000.00	0.00	2000.00
8	आई०सी०टी० परियोजना	राज्य स्कीम	21-2202021090105	0.00	0.00	0.00	1000.00	300.00	0.00	12600.00	3780.00	0.00	100.00	30.00	0.00
9	मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना	राज्य स्कीम	21-2202021070106	13787.75	0.00	13787.75	4000.00	0.00	4000.00	14554.99	0.00	14554.99	15900.04	0.00	15900.04
10	मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना	राज्य स्कीम	21-2202021070107	7620.95	0.00	7620.95	3000.00	0.00	3000.00	11130.55	0.00	11130.55	10000.00	0.00	10000.00
11	बिहार सवजूनियर स्पोर्ट्स मीट तरंग कार्यक्रम	राज्य स्कीम	21-2204001040108	0.00	0.00	0.00	300.00	90.00	0.00	300.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	अन्य विद्यालय	राज्य स्कीम	21-2202021070108	13069.16	0.00	0.00	4500.00	0.00	4500.00	16120.60	0.00	16120.60	16200.00	0.00	16200.00
13	मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम	राज्य स्कीम	21-2202021090109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4000.00	0.00	4000.00
14	मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना	राज्य स्कीम	21-2202021090110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	150.00	0.00
15	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर०एम०एस०ए०)	राज्य स्कीम	21-2202021090207	0.00	0.00	0.00	78495.00	27473.25	0.00	5400.00	1890.00	0.00	9000.00	2700.00	0.00
16	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए)	राज्य स्कीम	21-2202021100211	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16000.00	4800.00	0.00

माध्यमिक शिक्षा

क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2016-2017 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2017-2018 में आय-व्ययक			वित्तीय वर्ष 2017-2018 के पुनरीक्षित			वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए आय-व्ययक		
				बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
17	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर०एम०एस०ए०)	राज्य स्कीम	21-4202012020211	18493.36	6472.68	0.00	33640.00	11774.00	0.00	14600.00	5110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर०एम०एस०ए०)	राज्य स्कीम	21-2202021090307	12328.90	4315.12	0.00	26700.00	9345.00	0.00	25005.26	8751.84	0.00	1000.00	300.00	0.00
19	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर०एम०एस०ए०)	राज्य स्कीम	21-2202021100311	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15666.66	4700.00	0.00
<b>कुल योग-</b>				<b>154467.49</b>	<b>34761.72</b>	<b>31722.59</b>	<b>260214.24</b>	<b>80711.71</b>	<b>15500.04</b>	<b>229194.68</b>	<b>55406.36</b>	<b>53518.70</b>	<b>202616.73</b>	<b>45905.00</b>	<b>49600.07</b>

उच्च शिक्षा

क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2016-2017 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2017-2018 में आय-व्ययक			वित्तीय वर्ष 2017-2018 के पुनरीक्षित			वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए आय-व्ययक		
				बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
1	पटना विश्वविद्यालय	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	21-2202031020001	15829.87	4748.96	0.00	20068.00	6020.40	0.00	20068.00	6020.40	0.00	32398.00	9719.40	0.00
2	मगध विश्वविद्यालय	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	21-2202031020002	55001.96	16500.59	0.00	71000.00	21300.00	0.00	71000.00	21300.00	0.00	108618.00	32585.40	0.00

उच्च शिक्षा

क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2016-2017 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2017-2018 में आय-व्ययक			वित्तीय वर्ष 2017-2018 के पुनरीक्षित			वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए आय-व्ययक		
				बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
3	बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर (बिहार विश्वविद्यालय)	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	21-2202031020003	31918.49	9575.55	0.00	40600.00	12180.00	0.00	40600.00	12180.00	0.00	66147.00	19844.10	0.00
4	राजकीय महिला महाविद्यालय	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	21-2202031030003	1106.12	0.00	1106.12	1204.09	0.00	1204.09	1204.09	0.00	1204.09	1220.96	0.00	1220.96
5	जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	21-2202031020004	12452.58	3735.77	0.00	16800.00	5040.00	0.00	16800.00	5040.00	0.00	29064.00	8719.20	0.00
6	वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	21-2202031020005	15402.53	4620.76	0.00	20700.00	6210.00	0.00	20700.00	6210.00	0.00	35181.00	10554.30	0.00
7	अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	21-2202800030005	439.86	131.96	0.00	518.10	155.43	0.00	528.10	158.43	0.00	518.51	155.55	0.00
8	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	21-2202800030006	3022.18	906.66	0.00	2491.53	747.46	0.00	3104.78	931.43	0.00	3186.20	955.86	0.00
9	प्रखण्ड शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	21-2202800030007	254.83	76.45	0.00	303.05	90.92	0.00	451.05	135.32	0.00	340.90	102.27	0.00
10	बी०एन० मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	21-2202031020008	19069.72	5720.92	0.00	24400.00	7320.00	0.00	24400.00	7320.00	0.00	40761.00	12228.30	0.00
11	प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	21-2202800030008	2053.27	615.98	0.00	1925.13	577.54	0.00	1948.89	584.67	0.00	2653.45	796.04	0.00
12	भागलपुर विश्वविद्यालय	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	21-2202031020009	33192.77	9957.83	0.00	39600.00	11880.00	0.00	39600.00	11880.00	0.00	48157.00	14447.10	0.00
13	ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	21-2202031020011	31931.74	9579.52	0.00	42600.00	12780.00	0.00	42600.00	12780.00	0.00	58447.00	17534.10	0.00
14	कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	21-2202031020012	7234.43	2170.33	0.00	7500.00	2250.00	0.00	7500.00	2250.00	0.00	9945.00	2983.50	0.00
15	मौलाना मजहूरूल हक अरबी/फारसी विश्वविद्यालय	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	21-2202031020016	196.95	59.08	0.00	255.00	76.50	0.00	255.00	76.50	0.00	410.00	123.00	0.00
16	पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	21-2202031020024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	900.00	0.00	4000.00	1200.00	0.00



उच्च शिक्षा

क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2016-2017 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2017-2018 में आय-व्ययक			वित्तीय वर्ष 2017-2018 के पुनरीक्षित			वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए आय-व्ययक		
				बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
17	पूर्णिमा विश्वविद्यालय, पूर्णिमा	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	21-2202031020025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	900.00	0.00	4000.00	1200.00	0.00
18	मुंगेर विश्वविद्यालय, मुंगेर	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	21-2202031020027	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	900.00	0.00	3500.00	1050.00	0.00
19	बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम	राज्य स्कीम	21-2202031120101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14800.00	4440.00	0.00
20	बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम	राज्य स्कीम	21-2202031130101	250.00	75.00	0.00	5500.00	1650.00	0.00	5500.00	1650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना	राज्य स्कीम	21-2202031070104	2000.10	0.00	2000.10	1500.00	0.00	1500.00	2645.25	0.00	2645.25	3600.00	0.00	3600.00
22	राजकीय महिला महाविद्यालय	राज्य स्कीम	21-4202012030106	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	293.00	0.00	293.00	10.00	0.00	10.00
23	राजकीय महाविद्यालय	राज्य स्कीम	21-4202012030108	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	2316.57	0.00	2316.57	2000.00	0.00	2000.00
24	राज्य के विश्वविद्यालयों का विकास	राज्य स्कीम	21-2202031020115	4384.70	1315.41	0.00	9000.02	2700.01	0.00	9000.02	2700.01	0.00	11500.01	3450.00	0.00
25	राष्ट्रीय विधि महाविद्यालय की स्थापना	राज्य स्कीम	21-2202031020117	150.00	45.00	0.00	150.00	45.00	0.00	1650.00	495.00	0.00	150.00	45.00	0.00
26	राष्ट्रीय स्तर का प्रबंधन संस्थान हेतु	राज्य स्कीम	21-2202031020118	500.00	150.00	0.00	500.00	150.00	0.00	6000.00	1800.00	0.00	1.00	0.30	0.00
27	नालंदा अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, नालंदा	राज्य स्कीम	21-2202031020119	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
28	आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना	राज्य स्कीम	21-2202031020126	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9495.00	2848.50	0.00	500.00	150.00	0.00
29	अध्यापक प्रशिक्षण और प्रौढ़ शिक्षा सहित शैक्षिक विकास हेतु समर्थन	राज्य स्कीम	21-2202042000303	0.00	0.00	0.00	1333.33	400.00	0.00	1333.33	400.00	0.00	41.94	12.58	0.00
30	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान	राज्य स्कीम	21-2202031020323	440.00	0.00	0.00	5333.33	0.00	0.00	5333.33	0.00	0.00	2516.43	0.00	0.00
<b>कुल योग-</b>				<b>236932.10</b>	<b>69985.77</b>	<b>3206.22</b>	<b>313581.59</b>	<b>91573.26</b>	<b>3004.09</b>	<b>343326.42</b>	<b>99460.26</b>	<b>6458.91</b>	<b>483667.41</b>	<b>142296.00</b>	<b>6830.96</b>
<b>महायोग-</b>				<b>1457736.19</b>	<b>424749.12</b>	<b>51192.11</b>	<b>1892275.86</b>	<b>569313.99</b>	<b>28504.14</b>	<b>1871865.76</b>	<b>544065.01</b>	<b>76977.62</b>	<b>2554904.39</b>	<b>592487.07</b>	<b>71431.03</b>

क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2016-2017 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2017-2018 में आय-व्ययक			वित्तीय वर्ष 2017-2018 के पुनरीक्षित			वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए आय-व्ययक		
				बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
1	महिला स्वास्थ्य परिदर्शिकाओं के लिए विद्यालय	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	20-2210051050011	90.01	0.00	0.00	103.19	0.00	0.00	103.19	0.00	0.00	122.18	0.00	122.18
2	प्रशिक्षण नर्स	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	20-2210051050012	787.98	0.00	0.00	1095.37	0.00	1095.37	1099.37	0.00	1099.37	1555.71	0.00	1555.71
3	स्वास्थ्य प्रक्षेत्र में बिहार कौशल विकास प्रशिक्षण	राज्य स्कीम	20-2230031020102	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1988.00	0.00	0.00	500.00	150.00	0.00
4	स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	राज्य स्कीम	20-2211001020102	310.98	0.00	310.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	राज्य स्कीम	20-2211000010104	2967.16	0.00	2967.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	राज्य स्कीम	20-2211001010105	33976.07	0.00	33976.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	ए०एन०एम० एवं जी०एन०एम० स्कूल	राज्य स्कीम	20-4210031050112	6000.00	0.00	6000.00	31000.00	0.00	31000.00	14000.00	0.00	14000.00	36500.00	0.00	0.00
8	बी०एस०सी० नर्सिंग कॉलेज (निश्चय)	राज्य स्कीम	20-4210031050119	3000.00	0.00	0.00	7000.00	0.00	7000.00	3000.00	0.00	3000.00	12000.00	0.00	12000.00
9	एनआरएचएम सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	राज्य स्कीम	20-2210017890201	10000.00	0.00	10000.00	13698.88	0.00	13698.88	13698.88	0.00	13698.88	13298.88	0.00	13298.88
10	एनआरएचएम सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	राज्य स्कीम	20-2210037890201	11787.04	0.00	0.00	20548.32	0.00	0.00	20548.32	0.00	0.00	20548.32	0.00	20548.32
11	एनआरएचएम सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	राज्य स्कीम	20-2210037960202	2500.00	0.00	2500.00	1284.27	0.00	1284.27	1284.27	0.00	1284.27	1684.27	0.00	1684.27
12	स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	राज्य स्कीम	20-2211001020202	0.00	0.00	0.00	538.00	161.40	0.00	1138.00	341.40	0.00	1261.00	378.30	0.00
13	एनआरएचएम सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	राज्य स्कीम	20-2210031100203	26346.32	0.00	0.00	56167.41	0.00	0.00	56167.41	0.00	0.00	56167.41	0.00	56167.41
14	स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	राज्य स्कीम	20-2211000010204	0.00	0.00	0.00	1000.00	300.00	0.00	11500.00	3450.00	0.00	11700.00	3510.00	0.00
15	स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	राज्य स्कीम	20-2211001010205	0.00	0.00	0.00	2500.00	0.00	2500.00	27836.00	0.00	27836.00	28300.00	0.00	28300.00

क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2016-2017 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2017-2018 में आय-व्ययक			वित्तीय वर्ष 2017-2018 के पुनरीक्षित			वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए आय-व्ययक		
				बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
16	स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	राज्य स्कीम	20-2211000030206	0.00	0.00	0.00	951.00	285.30	0.00	3151.00	945.30	0.00	2917.00	875.10	0.00
17	एनआरएचएम सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	राज्य स्कीम	20-2210012000209	25100.00	0.00	25100.00	37444.94	0.00	37444.94	37444.94	0.00	37444.94	37444.94	0.00	37444.94
18	एनआरएचएम सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	राज्य स्कीम	20-2210017960219	1218.70	0.00	1218.70	856.18	0.00	856.18	856.18	0.00	856.18	856.18	0.00	856.18
19	एनआरएचएम सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	राज्य स्कीम	20-2210017890301	17.00	0.00	17.00	9132.58	0.00	9132.58	9132.58	0.00	9132.58	6111.07	0.00	6111.07
20	एनआरएचएम सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	राज्य स्कीम	20-2210037890301	1000.00	0.00	1000.00	13698.88	0.00	13698.88	13698.88	0.00	13698.88	9166.29	0.00	9166.29
21	एनआरएचएम सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	राज्य स्कीम	20-2210037960302	3000.00	0.00	3000.00	856.18	0.00	856.18	856.18	0.00	856.18	772.91	0.00	772.91
22	स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	राज्य स्कीम	20-2211001020302	0.00	0.00	0.00	1076.00	322.80	0.00	1576.00	472.80	0.00	651.00	195.30	0.00
23	एनआरएचएम सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	राज्य स्कीम	20-2210031100303	33445.00	0.00	0.00	37444.94	0.00	0.00	37444.94	0.00	0.00	25050.00	0.00	25050.00
24	स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	राज्य स्कीम	20-2211000010304	0.00	0.00	0.00	2000.00	600.00	0.00	9064.00	2719.20	0.00	3524.00	1057.20	0.00
25	स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	राज्य स्कीम	20-2211001010305	0.00	0.00	0.00	5333.33	0.00	5333.33	21783.33	0.00	21783.33	7333.49	0.00	7333.49
26	स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	राज्य स्कीम	20-2211000030306	0.00	0.00	0.00	1902.00	570.60	0.00	3402.00	1020.60	0.00	2155.00	646.50	0.00
27	एनआरएचएम सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	राज्य स्कीम	20-2210012000309	37000.00	0.00	37000.00	24963.30	0.00	24963.30	24963.30	0.00	24963.30	16401.66	0.00	16401.66
28	एनआरएचएम सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	राज्य स्कीम	20-2210017960319	1000.00	0.00	1000.00	570.79	0.00	570.79	570.79	0.00	570.79	481.89	0.00	481.89
<b>कुल योग-</b>				<b>199546.26</b>	<b>0.00</b>	<b>124089.91</b>	<b>271265.56</b>	<b>2240.10</b>	<b>149434.70</b>	<b>316307.56</b>	<b>8949.30</b>	<b>170224.70</b>	<b>296503.20</b>	<b>6812.40</b>	<b>237295.20</b>
<b>महायोग-</b>				<b>199546.26</b>	<b>0.00</b>	<b>124089.91</b>	<b>271265.56</b>	<b>2240.10</b>	<b>149434.70</b>	<b>316307.56</b>	<b>8949.30</b>	<b>170224.70</b>	<b>296503.20</b>	<b>6812.40</b>	<b>237295.20</b>

क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2016-2017 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2017-2018 में आय-व्ययक			वित्तीय वर्ष 2017-2018 के पुनरीक्षित			वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए आय-व्ययक		
				बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
1	मुख्य मंत्री इंदिरा आवास जर्पोख्यर योजना	राज्य स्कीम	42-2216037890103	0.00	0.00	0.00	9200.00	0.00	9200.00	9200.00	0.00	9200.00	50.00	0.00	50.00
2	लोहिया स्वच्छता योजना	राज्य स्कीम	42-2215021050103	4855.00	1456.50	0.00	25000.00	7500.00	0.00	25000.00	7500.00	0.00	25000.00	7500.00	0.00
3	मुख्य मंत्री शताब्दी इंदिरा आवास प्रोत्साहन योजना	राज्य स्कीम	42-2216031050106	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	25.00	0.00	25.00
4	बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना-विश्व बैंक सम्पोषित- ग्रामीण विकास विभाग हेतु	राज्य स्कीम	42-2515007890110	12853.00	0.00	12853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना (विश्व बैंक सम्पोषित-ग्रामीण विकास विभाग हेतु)	राज्य स्कीम	42-2515001020117	30714.15	0.00	30714.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना(विश्व बैंक सम्पोषित-ग्रामीण विकास विभाग हेतु)	राज्य स्कीम	42-2515007960117	487.00	0.00	487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा)	राज्य स्कीम	42-2505021010201	39925.50	11977.65	0.00	150298.00	45089.40	0.00	150298.00	45089.40	0.00	176398.00	52919.40	0.00
8	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा)	राज्य स्कीम	42-2505027890201	0.00	0.00	0.00	1.00	0.30	0.00	1.00	0.30	0.00	1.00	0.30	0.00
9	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा)	राज्य स्कीम	42-2505027960201	0.00	0.00	0.00	1.00	0.30	0.00	1.00	0.30	0.00	1.00	0.30	0.00
10	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	राज्य स्कीम	42-2215021050202	25972.30	7791.69	0.00	5800.00	1740.00	0.00	13800.00	4140.00	0.00	144982.00	43494.60	0.00
11	इंदिरा आवास योजना (आईए वाई)	राज्य स्कीम	42-2216031050202	98330.55	0.00	98330.55	166184.00	0.00	166184.00	166184.00	0.00	166184.00	446337.24	0.00	446337.24
12	इंदिरा आवास योजना (आईएवाई)	राज्य स्कीम	42-2216037890202	110537.89	0.00	110537.89	228503.00	0.00	228503.00	228503.00	0.00	228503.00	50150.00	0.00	50150.00
13	इंदिरा आवास योजना (आईएवाई)	राज्य स्कीम	42-2216037960202	9544.82	0.00	9544.82	20773.04	0.00	20773.04	20773.04	0.00	20773.04	5015.00	0.00	5015.00

क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2016-2017 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2017-2018 में आय-व्ययक			वित्तीय वर्ष 2017-2018 के पुनरीक्षित			वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए आय-व्ययक		
				बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
14	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनओआरओएलओएमओ)	राज्य स्कीम	42-2501061010202	10489.62	3146.89	0.00	22010.00	6603.00	0.00	22010.00	6603.00	0.00	45490.00	13647.00	0.00
15	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनओआरओएलओएमओ)	राज्य स्कीम	42-2501067890202	6192.43	1857.73	0.00	12765.80	3829.74	0.00	12765.80	3829.74	0.00	24296.00	7288.80	0.00
16	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनओआरओएलओएमओ)	राज्य स्कीम	42-2501067960202	4651.72	1395.51	0.00	9244.20	2773.26	0.00	9244.20	2773.26	0.00	17594.00	5278.20	0.00
17	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	राज्य स्कीम	42-2215027890204	7752.20	2325.66	0.00	7975.00	2392.50	0.00	18975.00	5692.50	0.00	199351.00	59805.30	0.00
18	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	राज्य स्कीम	42-2215027960206	775.50	232.65	0.00	725.00	217.50	0.00	1725.00	517.50	0.00	18123.00	5436.90	0.00
19	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा)	राज्य स्कीम	42-2505021010301	19231.33	5769.40	0.00	16698.00	5009.40	0.00	50098.00	15029.40	0.00	41746.75	12524.03	0.00
20	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा)	राज्य स्कीम	42-2505027890301	10546.21	3163.86	0.00	1.00	0.30	0.00	1.00	0.30	0.00	1.00	0.30	0.00
21	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा)	राज्य स्कीम	42-2505027960301	1240.73	372.22	0.00	1.00	0.30	0.00	1.00	0.30	0.00	1.00	0.30	0.00
22	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	राज्य स्कीम	42-2215021050302	8362.00	2508.60	0.00	3866.68	1160.00	0.00	9200.01	2760.00	0.00	24164.33	7249.30	0.00
23	इंदिरा आवास योजना (आईए वाई)	राज्य स्कीम	42-2216031050302	55410.56	0.00	55410.56	66666.80	0.00	66666.80	66666.80	0.00	66666.80	124266.26	0.00	124266.26
24	इंदिरा आवास योजना (आईओवाईओ)	राज्य स्कीम	42-2216037890302	66374.08	0.00	66374.08	91666.85	0.00	91666.85	91666.85	0.00	91666.85	13963.00	0.00	13963.00
25	इंदिरा आवास योजना (आईओवाईओ)	राज्य स्कीम	42-2216037960302	5781.17	0.00	5781.17	8333.35	0.00	8333.35	8333.35	0.00	8333.35	1396.00	0.00	1396.00
26	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनओआरओएलओएमओ)	राज्य स्कीम	42-2501061010302	8195.07	2458.52	0.00	14673.33	4402.00	0.00	14673.33	4402.00	0.00	7482.33	2244.70	0.00
27	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनओआरओएलओएमओ)	राज्य स्कीम	42-2501067890302	3819.36	1145.81	0.00	8510.53	2553.16	0.00	8510.53	2553.16	0.00	2947.00	884.10	0.00
28	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनओआरओएलओएमओ)	राज्य स्कीम	42-2501067960302	4677.20	1403.16	0.00	6162.80	1848.84	0.00	6162.80	1848.84	0.00	2134.00	640.20	0.00

क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2016-2017 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2017-2018 में आय-व्ययक			वित्तीय वर्ष 2017-2018 के पुनरीक्षित			वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए आय-व्ययक		
				बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
29	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	राज्य स्कीम	42-2215027890304	2144.00	643.20	0.00	5316.66	1595.00	0.00	12649.99	3795.00	0.00	33225.00	9967.50	0.00
30	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	राज्य स्कीम	42-2215027960306	215.00	64.50	0.00	483.33	145.00	0.00	1150.00	345.00	0.00	3020.00	906.00	0.00
31	बिहार एकीकृत सामाजिक सुरक्षा सुदृढीकरण परियोजना (बाह्य सम्पत्ति परियोजना)	राज्य स्कीम	42-4515001020502	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	1.00	0.30	0.00
32	बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना-विश्व बैंक सम्पत्ति- ग्रामीण विकास विभाग हेतु	राज्य स्कीम	42-2515007890510	0.00	0.00	0.00	13176.70	0.00	13176.70	13176.70	0.00	13176.70	12470.00	0.00	12470.00
33	बिहार एकीकृत सामाजिक सुरक्षा सुदृढीकरण परियोजना (बाह्य सम्पत्ति परियोजना)	राज्य स्कीम	42-2515001020516	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	1999.00	599.70	0.00
34	बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना-विश्व बैंक सम्पत्ति- ग्रामीण विकास विभाग हेतु	राज्य स्कीम	42-2515001020517	0.00	0.00	0.00	31805.90	0.00	31805.90	31805.90	0.00	31805.90	30100.00	0.00	30100.00
35	बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना-विश्व बैंक सम्पत्ति- ग्रामीण विकास विभाग हेतु	राज्य स्कीम	42-2515007960517	0.00	0.00	0.00	454.40	0.00	454.40	454.40	0.00	454.40	430.00	0.00	430.00
<b>कुल योग-</b>				<b>549078.39</b>	<b>47713.55</b>	<b>390033.22</b>	<b>928297.37</b>	<b>86860.00</b>	<b>637764.04</b>	<b>995030.70</b>	<b>106880.00</b>	<b>637764.04</b>	<b>1452159.91</b>	<b>230387.23</b>	<b>684202.50</b>
<b>महायोग-</b>				<b>549078.39</b>	<b>47713.55</b>	<b>390033.22</b>	<b>928297.37</b>	<b>86860.00</b>	<b>637764.04</b>	<b>995030.70</b>	<b>106880.00</b>	<b>637764.04</b>	<b>1452159.91</b>	<b>230387.23</b>	<b>684202.50</b>

क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2016-2017 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2017-2018 में आय-व्ययक			वित्तीय वर्ष 2017-2018 के पुनरीक्षित			वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए आय-व्ययक		
				बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
1	नगर निगमों के निर्वाचित प्रतिनिधियों	राज्य स्कीम	48-2217031910102	254.60	127.30	0.00	165.00	82.50	0.00	165.00	82.50	0.00	167.00	83.50	0.00
2	नगर पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों	राज्य स्कीम	48-2217031930102	418.00	209.00	0.00	286.00	143.00	0.00	286.00	143.00	0.00	277.00	138.50	0.00
3	नगर परिषदों के निर्वाचित प्रतिनिधियों	राज्य स्कीम	48-2217031920102	439.54	219.77	0.00	325.00	162.50	0.00	325.00	162.50	0.00	327.00	163.50	0.00
4	नगर निगमों के निर्वाचित प्रतिनिधियों	राज्य स्कीम	48-2217011910106	37.28	18.64	0.00	24.00	12.00	0.00	24.00	12.00	0.00	29.00	14.50	0.00
5	स्वच्छ भारत अभियान	राज्य स्कीम	48-2217030510201	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15000.00	4500.00	0.00
6	सब के लिए आवास (शहरी) मिशन	राज्य स्कीम	48-2217017960201	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	150.00	45.00	0.00
7	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	राज्य स्कीम	48-3475001080202	1765.65	0.00	0.00	11205.00	0.00	0.00	3463.00	0.00	0.00	6600.00	1980.00	0.00
8	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	राज्य स्कीम	48-3475007890202	458.07	0.00	0.00	2160.00	0.00	0.00	2160.00	0.00	0.00	840.00	252.00	0.00
9	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	राज्य स्कीम	48-3475007960202	28.45	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00	60.00	18.00	0.00
10	सब के लिए आवास (शहरी) मिशन	राज्य स्कीम	48-2217037960203	76.64	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	150.00	45.00	0.00
11	सबके लिए आवास (शहरी) मिशन	राज्य स्कीम	48-2217030510203	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27500.00	8250.00	0.00
12	सब के लिए आवास (शहरी) मिशन	राज्य स्कीम	48-2217017890205	0.00	0.00	0.00	2400.00	0.00	0.00	2400.00	0.00	0.00	3600.00	1080.00	0.00
13	सब के लिए आवास (शहरी) मिशन	राज्य स्कीम	48-2217037890205	1951.41	0.00	0.00	2400.00	0.00	0.00	4042.00	0.00	0.00	3600.00	1080.00	0.00
14	सब के लिए आवास (शहरी) मिशन	राज्य स्कीम	48-2217017960301	25.54	0.00	0.00	55.88	0.00	0.00	155.88	0.00	0.00	75.00	22.50	0.00
15	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	राज्य स्कीम	48-3475001080302	2882.84	0.00	0.00	7470.00	0.00	0.00	3904.00	0.00	0.00	2115.00	634.50	0.00
16	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	राज्य स्कीम	48-3475007890302	305.38	0.00	0.00	1440.00	0.00	0.00	1440.00	0.00	0.00	840.00	252.00	0.00

क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2016-2017 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2017-2018 में आय-व्ययक			वित्तीय वर्ष 2017-2018 के पुनरीक्षित			वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए आय-व्ययक		
				बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
17	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	राज्य स्कीम	48-3475007960302	9.59	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	45.00	13.50	0.00
18	सब के लिए आवास (शहरी) मिशन	राज्य स्कीम	48-2217037960303	0.00	0.00	0.00	55.88	0.00	0.00	155.88	0.00	0.00	75.00	22.50	0.00
19	सबके लिए आवास (शहरी) मिशन	राज्य स्कीम	48-2217030510303	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2570.00	771.00	0.00
20	सब के लिए आवास (शहरी) मिशन	राज्य स्कीम	48-2217037890305	0.00	0.00	0.00	894.08	0.00	0.00	894.08	0.00	0.00	3640.00	1092.00	0.00
21	सब के लिए आवास (शहरी) मिशन	राज्य स्कीम	48-2217017890305	650.46	0.00	0.00	894.07	0.00	0.00	1441.07	0.00	0.00	3640.00	1092.00	0.00
<b>कुल योग-</b>				<b>9303.45</b>	<b>574.71</b>	<b>0.00</b>	<b>30299.91</b>	<b>400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21980.91</b>	<b>400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71300.00</b>	<b>21550.00</b>	<b>0.00</b>
<b>महायोग-</b>				<b>9303.45</b>	<b>574.71</b>	<b>0.00</b>	<b>30299.91</b>	<b>400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21980.91</b>	<b>400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71300.00</b>	<b>21550.00</b>	<b>0.00</b>



क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2016-2017 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2017-2018 में आय-व्ययक			वित्तीय वर्ष 2017-2018 के पुनरीक्षित			वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए आय-व्ययक		
				बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
1	ग्राम कचहरी के विभिन्न मर्दों हेतु	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	16-2515001980010	6116.56	3058.28	0.00	7500.00	3750.00	0.00	12500.00	6250.00	0.00	10000.00	5000.00	0.00
2	पंचायत समिति के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भ	राज्य स्कीम	16-2515001970103	1772.83	886.42	0.00	2400.00	1200.00	0.00	2400.00	1200.00	0.00	2800.00	1400.00	0.00
3	ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों	राज्य स्कीम	16-2515007890103	1499.50	749.75	0.00	2257.00	1128.50	0.00	2257.00	1128.50	0.00	2633.00	1316.50	0.00
4	ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों	राज्य स्कीम	16-2515007890104	1571.29	785.65	0.00	2257.00	1128.50	0.00	2257.00	1128.50	0.00	2633.00	1316.50	0.00
5	पंचायत समिति के निर्वाचित प्रतिनिधियों	राज्य स्कीम	16-2515007890105	350.92	175.46	0.00	492.00	246.00	0.00	492.00	246.00	0.00	574.00	287.00	0.00
6	ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों का	राज्य स्कीम	16-2515001980105	7651.54	3825.77	0.00	11017.00	5508.50	0.00	11017.00	5508.50	0.00	12853.00	6426.50	0.00
7	जिला परिषद के निर्वाचित प्रतिनिधियों	राज्य स्कीम	16-2515007890106	61.96	30.98	0.00	95.36	47.68	0.00	95.36	47.68	0.00	111.00	55.50	0.00
8	जिला परिषद् के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भ	राज्य स्कीम	16-2515001960106	345.07	172.54	0.00	464.64	232.32	0.00	464.64	232.32	0.00	543.00	271.50	0.00
9	ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों	राज्य स्कीम	16-2515001980106	7077.09	3538.54	0.00	11017.00	5508.50	0.00	11017.00	5508.50	0.00	12853.00	6426.50	0.00
<b>कुल योग-</b>				<b>26446.76</b>	<b>13223.39</b>	<b>0.00</b>	<b>37500.00</b>	<b>18750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42500.00</b>	<b>21250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45000.00</b>	<b>22500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>महायोग-</b>				<b>26446.76</b>	<b>13223.39</b>	<b>0.00</b>	<b>37500.00</b>	<b>18750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42500.00</b>	<b>21250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45000.00</b>	<b>22500.00</b>	<b>0.00</b>

क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2016-2017 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2017-2018 में आय-व्ययक			वित्तीय वर्ष 2017-2018 के पुनरीक्षित			वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए आय-व्ययक		
				बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
1	बिहार कौशल विकास मिशन	राज्य स्कीम	26-2230037890101	7071.52	0.00	0.00	1844.90	0.00	0.00	1844.90	0.00	0.00	10136.20	3040.86	0.00
2	नया महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना	राज्य स्कीम	26-2230031010101	287.89	0.00	287.89	400.00	0.00	400.00	800.00	0.00	800.00	1000.00	0.00	1000.00
3	स्थापित महिला ओ० प्र० सं० में नया व्यवसाय प्रारंभ	राज्य स्कीम	26-2230030030112	19.79	0.00	19.79	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00
4	बिहार कौशल विकास मिशन	राज्य स्कीम	26-2230037960121	328.75	0.00	0.00	102.76	0.00	0.00	102.76	0.00	0.00	379.19	113.76	0.00
5	बिहार कौशल विकास मिशन	राज्य स्कीम	26-2230030030129	11411.73	0.00	0.00	8328.94	0.00	0.00	8328.94	0.00	0.00	23111.22	6933.37	0.00
6	नेशनल कैरियर सर्विस	राज्य स्कीम	26-2230021010214	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	1000.00	300.00	0.00
7	कौशल विकास मिशन	राज्य स्कीम	26-2230030030233	40.69	0.00	0.00	1546.00	0.00	0.00	5227.62	0.00	0.00	2875.00	862.50	0.00
8	नेशनल कैरियर सर्विस	राज्य स्कीम	26-2230021010314	0.00	0.00	0.00	666.67	0.00	0.00	666.67	0.00	0.00	666.67	200.00	0.00
9	कौशल विकास मिशन	राज्य स्कीम	26-2230030030333	72.84	0.00	0.00	1054.00	0.00	0.00	1054.00	0.00	0.00	733.33	220.00	0.00
<b>कुल योग-</b>				<b>19233.21</b>	<b>0.00</b>	<b>307.68</b>	<b>14993.27</b>	<b>0.00</b>	<b>450.00</b>	<b>19074.89</b>	<b>0.00</b>	<b>850.00</b>	<b>39951.61</b>	<b>11670.49</b>	<b>1050.00</b>
<b>महायोग-</b>				<b>19233.21</b>	<b>0.00</b>	<b>307.68</b>	<b>14993.27</b>	<b>0.00</b>	<b>450.00</b>	<b>19074.89</b>	<b>0.00</b>	<b>850.00</b>	<b>39951.61</b>	<b>11670.49</b>	<b>1050.00</b>

क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2016-2017 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2017-2018 में आय-व्ययक			वित्तीय वर्ष 2017-2018 के पुनरीक्षित			वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए आय-व्ययक		
				बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
1	पिछड़ी जातियों के लिये बारह कन्या आवासीय उच्च विद्या	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	11-2225032770010	1089.54	0.00	1089.54	1073.43	0.00	1073.43	1073.43	0.00	1073.43	1259.00	0.00	1259.00
2	छात्रवृत्ति/वजीफा	राज्य स्कीम	11-2225031970101	9742.97	2922.89	0.00	9450.00	2835.00	0.00	9450.00	2835.00	0.00	10395.00	4677.75	0.00
3	छात्रवृत्ति/वजीफा	राज्य स्कीम	11-2225031980101	17174.66	5152.40	0.00	18050.00	5415.00	0.00	18050.00	5415.00	0.00	19855.00	8934.75	0.00
4	शिक्षा	राज्य स्कीम	11-2225032770101	115996.00	34798.80	0.00	109794.14	32938.24	0.00	109794.14	32938.24	0.00	108802.66	48961.20	0.00
5	आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवनों	राज्य स्कीम	11-4225032770101	1023.10	0.00	0.00	3958.52	0.00	0.00	3958.52	0.00	0.00	500.00	225.00	0.00
6	अधिक रूप से पिछड़े वर्गों के विकास हेतु स्कीम (ओबीसी छात्रावास निर्माण हेतु)	राज्य स्कीम	11-4225032770202	0.00	0.00	0.00	450.00	225.00	0.00	450.00	225.00	0.00	600.00	270.00	0.00
7	अन्य पिछड़े वर्गों और अनधिसूचित, घुमंतू तथा अर्ध-घुमंतू जनजातियों के विकास के लिए स्कीम	राज्य स्कीम	11-2225032770212	0.00	0.00	0.00	160.00	48.00	0.00	160.00	48.00	0.00	160.00	72.00	0.00
8	प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति	राज्य स्कीम	11-2225032770214	758.04	227.41	0.00	1250.00	375.00	0.00	1250.00	375.00	0.00	1250.00	562.50	0.00
9	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	राज्य स्कीम	11-2225032770215	0.00	0.00	0.00	7792.65	2337.80	0.00	7792.65	2337.80	0.00	7792.65	3506.69	0.00
10	अर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के विकास हेतु स्कीम (ओबीसी छात्रावास निर्माण हेतु)	राज्य स्कीम	11-4225032770302	0.00	0.00	0.00	150.00	75.00	0.00	150.00	75.00	0.00	150.00	67.50	0.00
11	अन्य पिछड़े वर्गों और अनधिसूचित, घुमंतू तथा अर्ध-घुमंतू जनजातियों के विकास के लिए स्कीम	राज्य स्कीम	11-2225032770312	0.00	0.00	0.00	53.33	16.00	0.00	53.33	16.00	0.00	53.33	24.00	0.00
12	प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति	राज्य स्कीम	11-2225032770314	0.00	0.00	0.00	1100.00	330.00	0.00	1100.00	330.00	0.00	1250.00	562.50	0.00
<b>कुल योग-</b>				<b>145784.31</b>	<b>43101.50</b>	<b>1089.54</b>	<b>153282.07</b>	<b>44595.04</b>	<b>1073.43</b>	<b>153282.07</b>	<b>44595.04</b>	<b>1073.43</b>	<b>152067.64</b>	<b>67863.89</b>	<b>1259.00</b>
<b>महायोग-</b>				<b>145784.31</b>	<b>43101.50</b>	<b>1089.54</b>	<b>153282.07</b>	<b>44595.04</b>	<b>1073.43</b>	<b>153282.07</b>	<b>44595.04</b>	<b>1073.43</b>	<b>152067.64</b>	<b>67863.89</b>	<b>1259.00</b>

क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2016-2017 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2017-2018 में आय-व्ययक			वित्तीय वर्ष 2017-2018 के पुनरीक्षित			वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए आय-व्ययक		
				बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
1	गृह विहिनों के लिए वास भूमि	राज्य स्कीम	40-4047007960101	0.00	0.00	0.00	156.66	0.00	156.66	156.66	0.00	156.66	161.66	0.00	161.66
2	गृह विहिन परिवारों के लिए रैयती भूमि का क्रय	राज्य स्कीम	40-4047007890106	350.52	0.00	350.52	2506.57	0.00	2506.57	2506.57	0.00	2506.57	2586.57	0.00	2586.57
3	पिछड़ा वर्ग के वासहीन परिवारों के गृहस्थल योजनान्तर्गत रैयती भूमि का क्रय	राज्य स्कीम	40-4047000500107	28.00	0.00	28.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	15.00	0.00	15.00
<b>कुल योग-</b>				<b>378.52</b>	<b>0.00</b>	<b>378.52</b>	<b>2763.23</b>	<b>0.00</b>	<b>2763.23</b>	<b>2763.23</b>	<b>0.00</b>	<b>2763.23</b>	<b>2763.23</b>	<b>0.00</b>	<b>2763.23</b>
<b>महायोग-</b>				<b>378.52</b>	<b>0.00</b>	<b>378.52</b>	<b>2763.23</b>	<b>0.00</b>	<b>2763.23</b>	<b>2763.23</b>	<b>0.00</b>	<b>2763.23</b>	<b>2763.23</b>	<b>0.00</b>	<b>2763.23</b>

क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2016-2017 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2017-2018 में आय-व्ययक			वित्तीय वर्ष 2017-2018 के पुनरीक्षित			वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए आय-व्ययक		
				बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
1	खेलकूद	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	8-2204001040001	678.48	203.54	0.00	885.89	265.77	0.00	885.89	265.77	0.00	1071.86	321.56	0.00
2	कला और संस्कृति का संवर्धन	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	8-2205001020001	761.35	228.41	0.00	519.21	155.76	0.00	519.21	155.76	0.00	566.72	170.02	0.00
3	कला और संस्कृति का संवर्धन	राज्य स्कीम	8-2205001020101	892.54	267.76	0.00	1160.00	348.00	0.00	1160.00	348.00	0.00	1370.00	411.00	0.00
4	खेलकूद	राज्य स्कीम	8-2204001040102	646.82	194.05	0.00	2280.00	684.00	0.00	1830.00	549.00	0.00	1750.00	525.00	0.00
<b>कुल योग-</b>				<b>2979.19</b>	<b>893.76</b>	<b>0.00</b>	<b>4845.10</b>	<b>1453.53</b>	<b>0.00</b>	<b>4395.10</b>	<b>1318.53</b>	<b>0.00</b>	<b>4758.58</b>	<b>1427.58</b>	<b>0.00</b>
<b>महायोग-</b>				<b>2979.19</b>	<b>893.76</b>	<b>0.00</b>	<b>4845.10</b>	<b>1453.53</b>	<b>0.00</b>	<b>4395.10</b>	<b>1318.53</b>	<b>0.00</b>	<b>4758.58</b>	<b>1427.58</b>	<b>0.00</b>

क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2016-2017 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2017-2018 में आय-व्ययक			वित्तीय वर्ष 2017-2018 के पुनरीक्षित			वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए आय-व्ययक		
				बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
1	पिछड़ी जातियों के लिए वि	राज्य स्कीम	23-2851001070101	0.02	0.00	0.00	2580.00	774.00	0.00	2580.00	774.00	0.00	1865.00	0.00	0.00
2	विद्युत करघा योजना	राज्य स्कीम	23-2851007890101	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	1.50	0.00
3	विद्युत करघा योजना	राज्य स्कीम	23-2851001080101	210.00	0.00	0.00	220.00	66.00	0.00	220.00	66.00	0.00	543.00	162.90	0.00
4	हस्तशिल्प का विकास	राज्य स्कीम	23-2851001040101	1788.65	536.60	0.00	2600.00	780.00	0.00	2531.00	759.30	0.00	1250.00	375.00	0.00
5	आर्थिक सहायता	राज्य स्कीम	23-2852087960101	233.76	70.13	0.00	521.88	156.56	0.00	521.88	156.56	0.00	300.00	90.00	0.00
6	इन्टरप्रेनियर्स डेवलपमेन्ट योजना की स्थापना	राज्य स्कीम	23-2852807890102	2938.92	881.68	0.00	9070.05	2721.02	0.00	9070.05	2721.02	0.00	1600.00	480.00	0.00
7	हस्तकरघा विकास की योजना	राज्य स्कीम	23-2851001030103	1061.59	318.48	0.00	435.00	130.50	0.00	435.00	130.50	0.00	329.00	0.00	0.00
8	सेन्ट्रल इंस्टीच्यूट आफ प्लास्टिक इन्जिरियरिंग	राज्य स्कीम	23-2852807890103	10.00	3.00	0.00	50.00	15.00	0.00	50.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	पिछड़ी जातियों के लिए विशेष अंगीभूत	राज्य स्कीम	23-2851007890105	0.00	0.00	0.00	1830.00	549.00	0.00	1830.00	549.00	0.00	360.00	108.00	0.00
10	प्री प्रोडक्शन एवं प्रोस्ट प्रोडक्शन सुविधाओं की योजना	राज्य स्कीम	23-2852807890105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1500.00	450.00	0.00
11	उद्योग मित्र	राज्य स्कीम	23-2851001020106	110.00	33.00	0.00	140.00	42.00	0.00	140.00	42.00	0.00	140.00	42.00	0.00
12	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष अंगीभूत योजना - बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को सहायक अनुदा	राज्य स्कीम	23-2851007890109	75.00	0.00	0.00	1400.00	420.00	0.00	1400.00	420.00	0.00	1160.00	348.00	0.00
13	शिल्प अनुसंधान संस्थान की योजना का सुदृढीकरण	राज्य स्कीम	23-2851001030113	378.85	113.66	0.00	500.00	150.00	0.00	500.00	150.00	0.00	700.00	210.00	0.00
14	प्री प्रोडक्शन एवं प्रोस्ट प्रोडक्शन सुविधाओं की योजना	राज्य स्कीम	23-2852807960122	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	7.50	0.00
15	इन्टरप्रेनियर्स डेवलपमेन्ट योजना की स्थापना	राज्य स्कीम	23-2852801020135	1006.45	301.93	0.00	5115.00	1534.50	0.00	5115.00	1534.50	0.00	2666.00	799.80	0.00
16	सेन्ट्रल इंस्टीच्यूट आफ प्लास्	राज्य स्कीम	23-2852801020150	25.00	7.50	0.00	200.00	60.00	0.00	200.00	60.00	0.00	300.00	90.00	0.00

क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2016-2017 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2017-2018 में आय-व्ययक			वित्तीय वर्ष 2017-2018 के पुनरीक्षित			वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए आय-व्ययक		
				बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
17	प्री-प्रोडक्सन एवं पोस्ट- प्रोडक्सन सुविधाओं की या	राज्य स्कीम	23-2852801020160	35530.45	0.00	0.00	32451.87	9735.56	0.00	32451.87	9735.56	0.00	28475.00	8542.50	0.00
<b>कुल योग-</b>				<b>43388.69</b>	<b>2265.98</b>	<b>0.00</b>	<b>57113.80</b>	<b>17134.14</b>	<b>0.00</b>	<b>57044.80</b>	<b>17113.44</b>	<b>0.00</b>	<b>41218.00</b>	<b>11707.20</b>	<b>0.00</b>
<b>महायोग-</b>				<b>43388.69</b>	<b>2265.98</b>	<b>0.00</b>	<b>57113.80</b>	<b>17134.14</b>	<b>0.00</b>	<b>57044.80</b>	<b>17113.44</b>	<b>0.00</b>	<b>41218.00</b>	<b>11707.20</b>	<b>0.00</b>

क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2016-2017 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2017-2018 में आय-व्ययक			वित्तीय वर्ष 2017-2018 के पुनरीक्षित			वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए आय-व्ययक		
				बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
1	भूमि संरक्षण कार्य	राज्य स्कीम	1-2402007890101	599.99	180.00	0.00	480.00	144.00	0.00	480.00	144.00	0.00	832.00	249.60	0.00
2	कृषि ऋण पर ब्याज अनुदान	राज्य स्कीम	1-2435601010101	780.00	234.00	0.00	830.00	249.00	0.00	830.00	249.00	0.00	415.00	124.50	0.00
3	कृषि ऋण पर ब्याज अनुदान	राज्य स्कीम	1-2435607890101	200.00	60.00	0.00	160.00	48.00	0.00	160.00	48.00	0.00	80.00	24.00	0.00
4	कृषि ऋण पर ब्याज अनुदान	राज्य स्कीम	1-2435607960101	20.00	6.00	0.00	10.00	3.00	0.00	10.00	3.00	0.00	5.00	1.50	0.00
5	कृषि कार्यालय भवनों की स्थापना	राज्य स्कीम	1-4401000510101	0.00	0.00	0.00	2490.00	747.00	0.00	2732.00	819.60	0.00	3984.00	1195.20	0.00
6	कृषि कार्यालय भवनों की स्थापना	राज्य स्कीम	1-4401007890101	0.00	0.00	0.00	480.00	144.00	0.00	480.00	144.00	0.00	768.00	230.40	0.00
7	कृषि कार्यालय भवनों की स्थापना	राज्य स्कीम	1-4401007960101	0.00	0.00	0.00	30.00	9.00	0.00	30.00	9.00	0.00	48.00	14.40	0.00
8	माप एवं तौल का मानकीकरण	राज्य स्कीम	1-3475001060101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.00	247.50	0.00	1138.35	341.51	0.00
9	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय को अनुदान	राज्य स्कीम	1-2415012770101	0.00	0.00	0.00	166.00	49.80	0.00	166.00	49.80	0.00	174.30	52.29	0.00
10	उद्यान विकास योजना	राज्य स्कीम	1-2401001190101	5099.12	1529.74	0.00	6391.00	1917.30	0.00	8607.82	2582.35	0.00	9556.77	2867.03	0.00
11	बाढ़ सुखाड़ की अपातकालीन योजना	राज्य स्कीम	1-2401001090103	6070.83	1821.25	0.00	14525.00	4357.50	0.00	12308.18	3692.45	0.00	6225.00	1867.50	0.00
12	माप एवं तौल का मानकीकरण	राज्य स्कीम	1-3475007890103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219.44	65.83	0.00
13	माप एवं तौल का मानकीकरण	राज्य स्कीम	1-3475007960103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.71	4.11	0.00
14	बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, भागलपुर	राज्य स्कीम	1-2415017890103	4810.48	1443.14	0.00	3168.00	950.40	0.00	2521.13	756.34	0.00	2686.40	805.92	0.00
15	बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर	राज्य स्कीम	1-2415017960104	449.70	134.91	0.00	198.00	59.40	0.00	157.92	47.38	0.00	167.90	50.37	0.00
16	मिट्टी बीज एवं उर्वरक प्रयोगशाला	राज्य स्कीम	1-2415017960105	2.21	0.66	0.00	8.00	2.40	0.00	8.00	2.40	0.00	8.00	2.40	0.00



क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2016-2017 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2017-2018 में आय-व्ययक			वित्तीय वर्ष 2017-2018 के पुनरीक्षित			वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए आय-व्ययक		
				बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
17	प्रमोशन आफ एग्रीकल्चरल मेकानाइजेशन	राज्य स्कीम	1-2401001130105	9489.67	2846.90	0.00	14940.00	4482.00	0.00	14940.00	4482.00	0.00	13280.00	3984.00	0.00
18	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय को अनुदान	राज्य स्कीम	1-2415017890105	0.00	0.00	0.00	32.00	9.60	0.00	32.00	9.60	0.00	33.60	10.08	0.00
19	इन्टेन्सिफाईड फिल्ड डेवलपमेन्	राज्य स्कीम	1-2401001090106	7979.77	2393.93	0.00	15604.00	4681.20	0.00	15604.01	4681.20	0.00	18426.00	5527.80	0.00
20	इन्टेन्सिफाईड फिल्ड डेवलपमेन्ट	राज्य स्कीम	1-2401007890106	1377.37	413.21	0.00	3008.00	902.40	0.00	3008.01	902.40	0.00	3552.00	1065.60	0.00
21	कृषि नवीनता में प्रोत्साहन	राज्य स्कीम	1-2401001040106	0.00	0.00	0.00	830.00	249.00	0.00	1801.21	540.36	0.00	3320.00	996.00	0.00
22	जैविक खेती का उन्नयन	राज्य स्कीम	1-2401001050106	8867.34	2660.20	0.00	10770.88	3231.26	0.00	10770.88	3231.26	0.00	18675.00	5602.50	0.00
23	मिट्टी बीज एवं उर्वरक प्रयोगशाला का सुदृढीकरण	राज्य स्कीम	1-2415010040107	454.29	136.29	0.00	664.00	199.20	0.00	664.00	199.20	0.00	664.00	199.20	0.00
24	मिट्टी बीज एवं उर्वरक प्रयोगशाला का सुदृढीकरण	राज्य स्कीम	1-2415017890107	57.37	17.21	0.00	128.00	38.40	0.00	128.00	38.40	0.00	128.00	38.40	0.00
25	भूमि संरक्षण कार्य	राज्य स्कीम	1-2402007960108	60.00	18.00	0.00	30.00	9.00	0.00	30.00	9.00	0.00	52.00	15.60	0.00
26	बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर	राज्य स्कीम	1-2415012770108	19739.82	5921.95	0.00	16434.00	4930.20	0.00	13092.26	3927.68	0.00	13935.70	4180.71	0.00
27	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय को अनुदान	राज्य स्कीम	1-2415017960108	0.00	0.00	0.00	2.00	0.60	0.00	2.00	0.60	0.00	2.10	0.63	0.00
28	बीज गुणन फार्मों का विस्तार खेती पर व्यय	राज्य स्कीम	1-2401001030109	6318.94	1895.68	0.00	11893.76	3568.13	0.00	11893.76	3568.13	0.00	11454.00	3436.20	0.00
29	भूमि संरक्षण कार्य	राज्य स्कीम	1-2402001020112	2340.74	702.22	0.00	2490.00	747.00	0.00	2490.00	747.00	0.00	4316.00	1294.80	0.00
30	बीज उत्पादन कार्यक्रम	राज्य स्कीम	1-2401007890117	732.25	219.67	0.00	2292.77	687.83	0.00	2292.77	687.83	0.00	2208.00	662.40	0.00
31	प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मेकानाइजेशन	राज्य स्कीम	1-2401007890120	746.40	223.92	0.00	2880.00	864.00	0.00	2880.00	864.00	0.00	2560.00	768.00	0.00
32	बाढ़ सुखाड़ की आपात कालीन योजना	राज्य स्कीम	1-2401007890125	464.61	139.38	0.00	2800.00	840.00	0.00	2372.66	711.80	0.00	1200.00	360.00	0.00
33	जैविक खेती का उन्नयन	राज्य स्कीम	1-2401007890126	1791.91	537.57	0.00	2076.34	622.90	0.00	2076.34	622.90	0.00	3600.00	1080.00	0.00
34	उद्यान विकास योजना	राज्य स्कीम	1-2401007890130	1209.50	362.85	0.00	1232.00	369.60	0.00	1659.34	497.80	0.00	1842.26	552.68	0.00

क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2016-2017 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2017-2018 में आय-व्ययक			वित्तीय वर्ष 2017-2018 के पुनरीक्षित			वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए आय-व्ययक		
				बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
35	इनटेनसिफाइड फिल्ड डेवलेपमेंट	राज्य स्कीम	1-2401007960134	36.09	10.83	0.00	188.00	56.40	0.00	188.01	56.40	0.00	222.00	66.60	0.00
36	बीज उत्पादन कार्यक्रम	राज्य स्कीम	1-2401007960140	23.94	7.18	0.00	143.30	42.99	0.00	143.30	42.99	0.00	138.00	41.40	0.00
37	प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मेकानाइजेशन	राज्य स्कीम	1-2401007960143	60.48	18.14	0.00	180.00	54.00	0.00	180.00	54.00	0.00	160.00	48.00	0.00
38	बाढ़ सुखाड़ की आपात कालीन योजना	राज्य स्कीम	1-2401007960147	33.49	10.05	0.00	175.00	52.50	0.00	148.29	44.49	0.00	75.00	22.50	0.00
39	कृषि नवीनता में प्रोत्साहन	राज्य स्कीम	1-2401007890147	0.00	0.00	0.00	160.00	48.00	0.00	347.22	104.17	0.00	640.00	192.00	0.00
40	जैविक खेती का उननयन	राज्य स्कीम	1-2401007960148	160.89	48.27	0.00	129.78	38.93	0.00	129.78	38.93	0.00	225.00	67.50	0.00
41	उद्यान विकास योजना	राज्य स्कीम	1-2401007960152	112.23	33.67	0.00	77.00	23.10	0.00	103.71	31.11	0.00	115.15	34.55	0.00
42	कृषि नवीनता में प्रोत्साहन	राज्य स्कीम	1-2401007960169	0.00	0.00	0.00	10.00	3.00	0.00	21.70	6.51	0.00	40.00	12.00	0.00
43	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	राज्य स्कीम	1-2401001020201	3879.42	1163.83	0.00	7405.92	2221.78	0.00	7405.92	2221.78	0.00	6598.58	1979.57	0.00
44	एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम (आई०डब्ल्यू०एम०पी०)	राज्य स्कीम	1-2402007890202	622.00	186.60	0.00	480.00	144.00	0.00	512.48	153.74	0.00	768.00	230.40	0.00
45	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०वी०वाई०) (ए०सी०ए०)	राज्य स्कीम	1-2401007890203	1070.44	321.13	0.00	3200.00	960.00	0.00	3200.00	960.00	0.00	2240.00	672.00	0.00
46	परम्परागत कृषि विकास योजना	राज्य स्कीम	1-2401001040205	90.17	27.05	0.00	1175.18	352.55	0.00	2002.21	600.66	0.00	1433.41	430.02	0.00
47	राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन	राज्य स्कीम	1-2401001050207	418.65	125.60	0.00	2038.95	611.69	0.00	2038.95	611.69	0.00	1738.02	521.41	0.00
48	एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम (आई०डब्ल्यू०एम०पी०)	राज्य स्कीम	1-2402007960209	191.00	57.30	0.00	30.00	9.00	0.00	32.03	9.61	0.00	48.00	14.40	0.00
49	एकीकृत जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम (आई०डब्ल्यू०एम०पी०)	राज्य स्कीम	1-2402001020213	2013.00	603.90	0.00	2490.00	747.00	0.00	2658.49	797.55	0.00	3984.00	1195.20	0.00
50	नेशनल ई-गवर्नेन्स प्लान-कृषि	राज्य स्कीम	1-2401000010214	0.00	0.00	0.00	302.61	90.78	0.00	302.61	90.78	0.00	209.41	62.82	0.00

क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2016-2017 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2017-2018 में आय-व्ययक			वित्तीय वर्ष 2017-2018 के पुनरीक्षित			वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए आय-व्ययक		
				बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
51	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०वी०वाई०) (ए०सी०ए०)	राज्य स्कीम	1-2401001090216	6308.13	1892.44	0.00	16600.00	4980.00	0.00	16600.00	4980.00	0.00	11620.00	3486.00	0.00
52	राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन	राज्य स्कीम	1-2401001090217	2522.42	756.73	0.00	3785.33	1135.60	0.00	3985.92	1195.78	0.00	3985.93	1195.78	0.00
53	सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकानाईजेशन	राज्य स्कीम	1-2401001130217	1078.00	323.40	0.00	1164.52	349.36	0.00	1164.52	349.36	0.00	745.97	223.79	0.00
54	प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना	राज्य स्कीम	1-2401001090218	3638.67	1091.60	0.00	6606.68	1982.00	0.00	6606.68	1982.00	0.00	3984.00	1195.20	0.00
55	सब मिशन ऑन सीड एण्ड प्लांटिंग मटेरियल	राज्य स्कीम	1-2401001030218	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2778.75	833.63	0.00	996.00	298.80	0.00
56	राष्ट्रीय तिलहन तथा ऑयल पाम मिशन	राज्य स्कीम	1-2401001080220	38.04	11.41	0.00	146.08	43.82	0.00	121.84	36.55	0.00	171.69	51.51	0.00
57	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	राज्य स्कीम	1-2401001190224	1410.80	423.24	0.00	2183.73	655.12	0.00	2183.73	655.12	0.00	2183.73	655.12	0.00
58	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०वी०वाई०) (ए०सी०ए०)	राज्य स्कीम	1-2401007960231	44.55	13.37	0.00	200.00	60.00	0.00	200.00	60.00	0.00	140.00	42.00	0.00
59	राष्ट्रीय तिलहन तथा ऑयल पाम मिशन	राज्य स्कीम	1-2401007890234	5.53	1.66	0.00	28.16	8.45	0.00	74.40	22.32	0.00	33.10	9.93	0.00
60	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	राज्य स्कीम	1-2401007890235	373.24	111.97	0.00	420.96	126.29	0.00	420.96	126.29	0.00	420.96	126.29	0.00
61	राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन	राज्य स्कीम	1-2401007890236	585.02	175.51	0.00	729.70	218.91	0.00	768.37	230.51	0.00	768.37	230.51	0.00
62	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	राज्य स्कीम	1-2401007890237	687.48	206.24	0.00	1427.65	428.30	0.00	1427.65	428.30	0.00	1272.02	381.61	0.00
63	राष्ट्रीय संघारणीय कृषि मिशन	राज्य स्कीम	1-2401007890238	83.28	24.98	0.00	393.05	117.92	0.00	393.05	117.92	0.00	335.04	100.51	0.00
64	प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना	राज्य स्कीम	1-2401007890239	693.62	208.09	0.00	1273.58	382.07	0.00	1273.58	382.07	0.00	768.00	230.40	0.00
65	नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान - कृषि	राज्य स्कीम	1-2401007890240	0.00	0.00	0.00	58.33	17.50	0.00	58.33	17.50	0.00	40.37	12.11	0.00

क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2016-2017 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2017-2018 में आय-व्ययक			वित्तीय वर्ष 2017-2018 के पुनरीक्षित			वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए आय-व्ययक		
				बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
66	परम्परागत कृषि विकास योजना	राज्य स्कीम	1-2401007890241	13.72	0.00	0.00	226.54	67.96	0.00	385.97	115.79	0.00	276.32	82.90	0.00
67	सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकानाईजेशन	राज्य स्कीम	1-2401007890245	224.49	0.00	0.00	224.49	67.35	0.00	224.49	67.35	0.00	143.80	43.14	0.00
68	सब मिशन ऑन सीड एण्ड प्लांटिंग मटेरियल	राज्य स्कीम	1-2401007890249	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.66	160.70	0.00	192.00	57.60	0.00
69	राष्ट्रीय तिलहन तथा ऑयल पाम मिशन	राज्य स्कीम	1-2401007960256	0.19	0.06	0.00	1.76	0.53	0.00	10.60	3.18	0.00	2.06	0.62	0.00
70	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	राज्य स्कीम	1-2401007960257	11.96	3.59	0.00	26.31	7.89	0.00	26.31	7.89	0.00	26.31	7.89	0.00
71	राष्ट्रीय संघारणीय कृषि मिशन	राज्य स्कीम	1-2401007960258	4.53	1.36	0.00	24.57	7.37	0.00	24.57	7.37	0.00	20.94	6.28	0.00
72	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	राज्य स्कीम	1-2401007960259	25.19	7.56	0.00	89.23	26.77	0.00	89.23	26.77	0.00	79.50	23.85	0.00
73	राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन	राज्य स्कीम	1-2401007960260	13.83	4.15	0.00	45.61	13.68	0.00	48.03	14.41	0.00	48.02	14.41	0.00
74	प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना	राज्य स्कीम	1-2401007960261	56.38	16.91	0.00	79.60	23.88	0.00	79.60	23.88	0.00	48.00	14.40	0.00
75	नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान - कृषि	राज्य स्कीम	1-2401007960262	0.00	0.00	0.00	3.65	1.10	0.00	3.65	1.10	0.00	2.52	0.76	0.00
76	परम्परागत कृषि विकास योजना	राज्य स्कीम	1-2401007960263	0.71	0.21	0.00	14.16	4.25	0.00	24.12	7.24	0.00	17.27	5.18	0.00
77	सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकानाईजेशन	राज्य स्कीम	1-2401007960267	0.00	0.00	0.00	14.03	4.21	0.00	14.03	4.21	0.00	8.99	2.70	0.00
78	सब मिशन ऑन सीड एण्ड प्लांटिंग मटेरियल	राज्य स्कीम	1-2401007960271	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.48	10.04	0.00	12.00	3.60	0.00
79	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	राज्य स्कीम	1-2401001020301	3363.43	1009.03	0.00	8300.00	2490.00	0.00	8300.00	2490.00	0.00	6179.63	1853.89	0.00
80	एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम (आई०डब्लू०एम०पी०)	राज्य स्कीम	1-2402007890302	414.70	124.41	0.00	320.00	96.00	0.00	341.65	102.50	0.00	512.00	153.60	0.00

क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2016-2017 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2017-2018 में आय-व्ययक			वित्तीय वर्ष 2017-2018 के पुनरीक्षित			वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए आय-व्ययक		
				बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
81	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०वी०वाई०) (ए०सी०ए०)	राज्य स्कीम	1-2401007890303	863.08	258.92	0.00	2800.00	840.00	0.00	2800.00	840.00	0.00	1909.34	572.80	0.00
82	परम्परागत कृषि विकास योजना	राज्य स्कीम	1-2401001040305	60.11	0.00	0.00	932.09	279.63	0.00	1334.81	400.44	0.00	955.60	286.68	0.00
83	राष्ट्रीय संघारणीय कृषि मिशन	राज्य स्कीम	1-2401001050307	281.57	84.47	0.00	1359.31	407.79	0.00	1359.31	407.79	0.00	1158.68	347.60	0.00
84	कौशल विकास मिशन	राज्य स्कीम	1-2415017890308	146.16	0.00	0.00	192.00	57.60	0.00	192.00	57.60	0.00	192.00	57.60	0.00
85	एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम (आई०डब्लू०एम०पी०)	राज्य स्कीम	1-2402007960309	127.33	38.20	0.00	20.00	6.00	0.00	21.35	6.41	0.00	32.00	9.60	0.00
86	कौशल विकास मिशन	राज्य स्कीम	1-2415017960309	9.14	2.74	0.00	12.00	3.60	0.00	12.00	3.60	0.00	12.00	3.60	0.00
87	कौशल विकास मिशन	राज्य स्कीम	1-2415012770312	758.23	0.00	0.00	996.00	298.80	0.00	996.00	298.80	0.00	996.00	298.80	0.00
88	एकीकृत जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम (आई०डब्ल्यू०एम०पी०)	राज्य स्कीम	1-2402001020313	1342.00	402.60	0.00	1660.00	498.00	0.00	1772.33	531.70	0.00	2656.00	796.80	0.00
89	नेशनल ई-गवर्नेन्स प्लान-कृषि	राज्य स्कीम	1-2401000010314	0.00	0.00	0.00	201.74	60.52	0.00	201.74	60.52	0.00	139.60	41.88	0.00
90	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०वी०वाई०) (ए०सी०ए०)	राज्य स्कीम	1-2401001090316	4870.08	1461.03	0.00	14525.00	4357.50	0.00	14525.00	4357.50	0.00	9904.66	2971.40	0.00
91	राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन	राज्य स्कीम	1-2401001090317	1836.78	551.03	0.00	2656.00	796.80	0.00	3516.33	1054.90	0.00	9546.28	2863.88	0.00
92	सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकानाईजेशन	राज्य स्कीम	1-2401001130317	718.67	0.00	0.00	776.36	232.91	0.00	776.36	232.91	0.00	497.31	149.19	0.00
93	प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना	राज्य स्कीम	1-2401001090318	2235.43	670.63	0.00	6313.46	1894.04	0.00	6313.46	1894.04	0.00	2656.00	796.80	0.00
94	सब मिशन ऑन सीड एण्ड प्लांटिंग मटेरियल	राज्य स्कीम	1-2401001030318	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1352.14	405.64	0.00	664.00	199.20	0.00
95	राष्ट्रीय तिलहन तथा ऑयल पाम मिशन	राज्य स्कीम	1-2401001080320	25.83	7.75	0.00	106.70	32.01	0.00	81.23	24.37	0.00	197.46	59.24	0.00

क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2016-2017 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2017-2018 में आय-व्ययक			वित्तीय वर्ष 2017-2018 के पुनरीक्षित			वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए आय-व्ययक		
				बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
96	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	राज्य स्कीम	1-2401007890323	587.63	176.29	0.00	1600.00	480.00	0.00	1600.00	480.00	0.00	1191.25	357.38	0.00
97	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	राज्य स्कीम	1-2401001190324	940.53	282.16	0.00	1455.82	436.75	0.00	1455.82	436.75	0.00	1455.82	436.75	0.00
98	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०वी०वाई०) (ए०सी०ए०)	राज्य स्कीम	1-2401007960331	38.47	11.54	0.00	175.00	52.50	0.00	175.00	52.50	0.00	119.33	35.80	0.00
99	राष्ट्रीय तिलहन तथा ऑयल पाम मिशन	राज्य स्कीम	1-2401007890334	4.06	1.22	0.00	20.56	6.17	0.00	49.61	14.88	0.00	38.06	11.42	0.00
100	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	राज्य स्कीम	1-2401007890335	248.83	74.65	0.00	280.64	84.19	0.00	280.64	84.19	0.00	280.64	84.19	0.00
101	राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन	राज्य स्कीम	1-2401007890336	362.55	108.76	0.00	512.00	153.60	0.00	677.85	203.36	0.00	1840.25	552.08	0.00
102	राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन	राज्य स्कीम	1-2401007890338	50.11	15.03	0.00	262.03	78.61	0.00	262.03	78.61	0.00	223.36	67.01	0.00
103	प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना	राज्य स्कीम	1-2401007890339	411.17	123.35	0.00	1217.05	365.12	0.00	1217.05	365.12	0.00	512.00	153.60	0.00
104	नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान - कृषि	राज्य स्कीम	1-2401007890340	0.00	0.00	0.00	38.89	11.67	0.00	38.89	11.67	0.00	26.91	8.07	0.00
105	परम्परागत कृषि विकास योजना	राज्य स्कीम	1-2401007890341	9.15	0.00	0.00	179.68	53.90	0.00	257.31	77.19	0.00	184.21	55.26	0.00
106	नेशनल मिशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी	राज्य स्कीम	1-2401007890343	39.68	11.91	0.00	128.00	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107	सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकानाईजेशन	राज्य स्कीम	1-2401007890345	149.66	0.00	0.00	149.65	44.90	0.00	149.65	44.90	0.00	95.87	28.76	0.00
108	सब मिशन ऑन सीड एण्ड प्लांटिंग मटेरियल	राज्य स्कीम	1-2401007890349	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.65	78.20	0.00	128.00	38.40	0.00
109	राष्ट्रीय तिलहन तथा ऑयल पाम मिशन	राज्य स्कीम	1-2401007960356	0.13	0.04	0.00	1.28	0.38	0.00	7.06	2.12	0.00	2.38	0.71	0.00
110	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	राज्य स्कीम	1-2401007960357	7.97	2.39	0.00	17.54	5.26	0.00	17.54	5.26	0.00	17.54	5.26	0.00
111	राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन	राज्य स्कीम	1-2401007960358	2.59	0.78	0.00	16.37	4.91	0.00	16.37	4.91	0.00	13.96	4.19	0.00

क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2016-2017 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2017-2018 में आय-व्ययक			वित्तीय वर्ष 2017-2018 के पुनरीक्षित			वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए आय-व्ययक		
				बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
112	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	राज्य स्कीम	1-2401007960359	21.66	6.50	0.00	100.00	30.00	0.00	100.00	30.00	0.00	74.45	22.34	0.00
113	राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन	राज्य स्कीम	1-2401007960360	43.77	13.13	0.00	32.00	9.60	0.00	42.36	12.71	0.00	115.02	34.51	0.00
114	प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना	राज्य स्कीम	1-2401007960361	32.46	9.74	0.00	76.06	22.82	0.00	76.06	22.82	0.00	32.00	9.60	0.00
115	नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान - कृषि	राज्य स्कीम	1-2401007960362	0.00	0.00	0.00	2.43	0.73	0.00	2.43	0.73	0.00	1.69	0.51	0.00
116	परम्परागत कृषि विकास योजना	राज्य स्कीम	1-2401007960363	0.48	0.00	0.00	11.23	3.37	0.00	16.08	4.82	0.00	11.52	3.46	0.00
117	सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकानाईजेशन	राज्य स्कीम	1-2401007960367	0.00	0.00	0.00	9.35	2.81	0.00	9.35	2.81	0.00	5.99	1.80	0.00
118	सब मिशन ऑन सीड एण्ड प्लांटिंग मटेरियल	राज्य स्कीम	1-2401007960371	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.29	4.89	0.00	8.00	2.40	0.00
119	एग्रीबिजनस इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट प्रोजेक्ट	राज्य स्कीम	1-2401001090514	0.00	0.00	0.00	83.00	24.90	0.00	302.93	90.88	0.00	0.00	0.00	0.00
120	एग्रीबिजनस इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट प्रोजेक्ट (वाह्य समपोषित परियोजना)	राज्य स्कीम	1-2401007890532	0.00	0.00	0.00	16.00	4.80	0.00	58.39	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00
121	एग्रीबिजनस इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट प्रोजेक्ट (वाह्य समपोषित परियोजना)	राज्य स्कीम	1-2401007960554	0.00	0.00	0.00	1.00	0.30	0.00	3.65	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>कुल योग-</b>				<b>126197.33</b>	<b>37235.01</b>	<b>0.00</b>	<b>218553.45</b>	<b>65566.06</b>	<b>0.00</b>	<b>225014.23</b>	<b>67504.33</b>	<b>0.00</b>	<b>217134.82</b>	<b>65140.48</b>	<b>0.00</b>
<b>महायोग-</b>				<b>126197.33</b>	<b>37235.01</b>	<b>0.00</b>	<b>218553.45</b>	<b>65566.06</b>	<b>0.00</b>	<b>225014.23</b>	<b>67504.33</b>	<b>0.00</b>	<b>217134.82</b>	<b>65140.48</b>	<b>0.00</b>

क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2016-2017 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2017-2018 में आय-व्ययक			वित्तीय वर्ष 2017-2018 के पुनरीक्षित			वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए आय-व्ययक		
				बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
1	प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	43-2203001050001	3344.01	0.00	3344.01	3518.79	0.00	3518.79	4219.79	0.00	4219.79	5272.17	0.00	5272.17
2	प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	43-2203001030001	68.93	0.00	68.93	98.69	0.00	98.69	98.69	0.00	98.69	103.77	0.00	103.77
3	प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	राज्य स्कीम	43-2203001050106	258.35	0.00	258.35	301.90	0.00	301.90	301.90	0.00	301.90	200.00	0.00	200.00
<b>कुल योग-</b>				<b>3671.29</b>	<b>0.00</b>	<b>3671.29</b>	<b>3919.38</b>	<b>0.00</b>	<b>3919.38</b>	<b>4620.38</b>	<b>0.00</b>	<b>4620.38</b>	<b>5575.94</b>	<b>0.00</b>	<b>5575.94</b>
<b>महायोग-</b>				<b>3671.29</b>	<b>0.00</b>	<b>3671.29</b>	<b>3919.38</b>	<b>0.00</b>	<b>3919.38</b>	<b>4620.38</b>	<b>0.00</b>	<b>4620.38</b>	<b>5575.94</b>	<b>0.00</b>	<b>5575.94</b>



क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2016-2017 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2017-2018 में आय-व्ययक			वित्तीय वर्ष 2017-2018 के पुनरीक्षित			वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए आय-व्ययक		
				बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
1	अनुसूचित जाति के भवन	राज्य स्कीम	3-4059017890101	9803.18	2940.95	0.00	35000.00	10500.00	0.00	35000.00	10500.00	0.00	30000.00	9000.00	0.00
2	कृषि कार्यालय भवन	राज्य स्कीम	3-4059017890102	549.07	0.00	0.00	720.00	216.00	0.00	720.00	216.00	0.00	1520.00	456.00	0.00
3	अल्पसंख्यक छात्र एवं छात्राओं हेतु छात्रावास निर्माण (अल्पसंख्यक कल्याण विभाग)	राज्य स्कीम	3-4225800510103	1114.11	557.05	0.00	7700.00	3850.00	0.00	7700.00	3850.00	0.00	1200.00	600.00	0.00
4	अनुसूचित जनजाति के भवन	राज्य स्कीम	3-4059017960104	1500.00	450.00	0.00	12000.00	3600.00	0.00	12000.00	3600.00	0.00	14900.00	4470.00	0.00
5	कृषि कार्यालय भवन	राज्य स्कीम	3-4059017960105	54.91	0.00	0.00	45.00	13.50	0.00	45.00	13.50	0.00	95.00	28.50	0.00
6	पिछड़े वर्गों के आवासीय विद्यालय एवं	राज्य स्कीम	3-4059800510118	38.97	0.00	0.00	5800.00	0.00	0.00	5800.00	0.00	0.00	9500.00	4275.00	0.00
7	कृषि कार्यालय भवन	राज्य स्कीम	3-4059010510119	2825.26	0.00	0.00	3735.00	1120.50	0.00	3735.00	1120.50	0.00	7885.00	2365.50	0.00
<b>कुल योग-</b>				<b>15885.50</b>	<b>3948.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65000.00</b>	<b>19300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65000.00</b>	<b>19300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65100.00</b>	<b>21195.00</b>	<b>0.00</b>
<b>महायोग-</b>				<b>15885.50</b>	<b>3948.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65000.00</b>	<b>19300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65000.00</b>	<b>19300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65100.00</b>	<b>21195.00</b>	<b>0.00</b>

क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2016-2017 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2017-2018 में आय-व्ययक			वित्तीय वर्ष 2017-2018 के पुनरीक्षित			वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए आय-व्ययक		
				बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
1	पुलिस भवनों का निर्माण एवं संधारण	राज्य स्कीम	22-4055000510101	14198.57	5821.41	0.00	14153.31	5802.86	0.00	18853.31	7729.86	0.00	26669.99	10934.70	0.00
<b>कुल योग-</b>				<b>14198.57</b>	<b>5821.41</b>	<b>0.00</b>	<b>14153.31</b>	<b>5802.86</b>	<b>0.00</b>	<b>18853.31</b>	<b>7729.86</b>	<b>0.00</b>	<b>26669.99</b>	<b>10934.70</b>	<b>0.00</b>
<b>महायोग-</b>				<b>14198.57</b>	<b>5821.41</b>	<b>0.00</b>	<b>14153.31</b>	<b>5802.86</b>	<b>0.00</b>	<b>18853.31</b>	<b>7729.86</b>	<b>0.00</b>	<b>26669.99</b>	<b>10934.70</b>	<b>0.00</b>

क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2016-2017 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2017-2018 में आय-व्ययक			वित्तीय वर्ष 2017-2018 के पुनरीक्षित			वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए आय-व्ययक		
				बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
1	पर्यटकीय संरचनाओं का विकास	राज्य स्कीम	46-5452011010104	6308.63	0.00	0.00	7147.17	2144.15	0.00	7147.17	2144.15	0.00	10801.21	3240.36	0.00
<b>कुल योग-</b>				<b>6308.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7147.17</b>	<b>2144.15</b>	<b>0.00</b>	<b>7147.17</b>	<b>2144.15</b>	<b>0.00</b>	<b>10801.21</b>	<b>3240.36</b>	<b>0.00</b>
<b>महायोग-</b>				<b>6308.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7147.17</b>	<b>2144.15</b>	<b>0.00</b>	<b>7147.17</b>	<b>2144.15</b>	<b>0.00</b>	<b>10801.21</b>	<b>3240.36</b>	<b>0.00</b>

## महिलाओं एवं बालिकाओं के लाभ के लिए महत्वपूर्ण योजनाओं की संक्षिप्त विवरणी

1. **महिला विकास निगम :-** राज्य में महिलाओं को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त करने के उद्देश्य से महिला विकास निगम की स्थापना की गयी है ।

समाज कल्याण विभाग

2. **मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना :-** “कन्या विवाह” योजना का उद्देश्य गरीब परिवार को विवाह के समय आर्थिक सहायता प्रदान करना, विवाह के निबंधन को प्रोत्साहित करना, कन्या शिक्षा को प्रोत्साहित करना तथा बाल विवाह को रोकना है । इस योजना के तहत, बी0पी0एल0 परिवार तथा ऐसे अन्य परिवार जिनकी आय 60000/- रुपये तक हो, की कन्या को विवाह के समय 5000/- (पाँच हजार) रुपये का भुगतान कन्या के नाम चेक/डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा करना है।

समाज कल्याण विभाग

3. **मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना :-** यह योजना महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक सशक्तिकरण की विशिष्ट योजना है । इस योजना का कार्यान्वयन महिला विकास निगम द्वारा किया जा रहा है ।

समाज कल्याण विभाग

4. **मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना :-** इस योजना का उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या रोकना, जन्म निबंधन तथा कन्या के जन्म को प्रोत्साहित करना है । इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे परिवारों में जन्म लेने वाली कन्याओं के लिए 2000/- (दो हजार) रुपये प्रति कन्या एकमुश्त अनुदान के रूप में राशि का सावधि जमा में निवेश आई0डी0बी0आई0 एवं यूको0 बैंक के माध्यम से किया जाता है । इस योजना का लाभ एक परिवार में जन्म लेनेवाली मात्र दो कन्याओं को देय है । कन्या के 18 वर्ष पूरा होने पर परिपक्वता मूल्य के समतुल्य राशि उपलब्ध करायी जाती है ।

समाज कल्याण विभाग

5. **परवरिश :-** (क) अनाथ एवं बेसहारा बच्चे एवं (ख) एच0आई0वी0/एड्स/कुष्ठ रोग से पीड़ित बच्चे अथवा एच0आई0वी0/एड्स पीड़ित माता/पिता अथवा कुष्ठ रोग के कारण विकलांग माता-पिता की संतानें जो अपने निकटतम संबंधी अथवा रिस्तेदार के साथ रह रहे हैं, के पालन-पोषण करने वाले वैसे परिवार जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं एवं जिनका नाम बी0पी0एल0 सूची में सम्मिलित हो अथवा जिनकी वार्षिक आय रू0 60,000/- (साठ हजार) से कम हो, को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान भत्ता के रूप में 0-18 वर्ष आयु वर्ग के लाभार्थी को रुपये 1000/- प्रदान किया जाता है ।

समाज कल्याण विभाग

6. **अन्तर्जातीय विवाह योजना :-** हिन्दू समाज में व्याप्त जाति प्रथा के उन्मूलन हेतु अन्तर्जातीय विवाह करनेवाली महिलाओं को प्रोत्साहन स्वरूप आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है । इस योजनान्तर्गत अन्तर्जातीय विवाह करने वाली महिला को 1,00,000/- रुपये की राशि का भुगतान राष्ट्रीयकृत बैंक के फीक्स्ट डिपोजिट के रूप में किया जाता है । इसकी अवरूद्धता अवधि न्यूनतम तीन वर्ष है ।

समाज कल्याण विभाग

7. **बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग :-** बाल अधिकार विशेषतया पारिवारिक संरक्षण से वंचित यथा निराश्रित, उपेक्षित, अनैतिक पणन के शिकार, शोषण के शिकार बालकों के अधिकारों के संरक्षण एवं उनके हनन के मामलों में त्वरित कार्रवाई हेतु बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 को अधिसूचित किया गया है ।

समाज कल्याण विभाग

8. **बाल संरक्षण इकाई की स्थापना :-** किशोर न्याय (बालकों के देखरेख एवं संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2006 के धारा 62ए के बाध्यकारी प्रावधानों के अनुसार राज्य स्तरीय बाल संरक्षण एकक (एक) एवं जिला स्तरीय बाल संरक्षण एककों (38) का गठन किया गया ।

समाज कल्याण विभाग

## महिलाओं एवं बालिकाओं के लाभ के लिए महत्वपूर्ण योजनाओं की संक्षिप्त विवरणी

**9. समेकित बाल विकास योजना (स्थापना-आई0एस0एन0आई0पी0 योजना सहित) :-** राज्य स्तरीय आई0सी0डी0एस0 निदेशालय, जिला स्तरीय 38 जिला प्रोग्राम कार्यालय एवं 544 बाल विकास परियोजनाएं स्वीकृत/संचालित हैं। इसके अन्तर्गत वर्तमान में 3288 महिला पर्यवेक्षिका, 91677 आंगनबाड़ी सेविका एवं 86237 आंगनबाड़ी सहायिका के स्वीकृत पद तथा भारत सरकार से नवस्वीकृत 23041 आंगनबाड़ी केन्द्र (मिनी सहित) में 23041 आंगनबाड़ी सेविका, 21366 सहायिका एवं 922 महिला पर्यवेक्षिका का शत प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित है।

समाज कल्याण विभाग

**10. पूरक पोषाहार :-** वित्तीय वर्ष 2014-15 से आई0सी0डी0एस0 के पुनर्गठन के आलोक में भारत सरकार द्वारा राज्य के सभी 38 जिलों के सभी स्वीकृत एवं संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों (मिनी सहित) पर वर्धित दर से सभी सामान्य/कुपोषित बच्चों/गर्भवती एवं धातृ महिलाओं को पूरक पोषाहार प्रदान किए जाने का प्रवधान है।

समाज कल्याण विभाग

**11. आंगनबाड़ी केन्द्र के बच्चों के लिए पोषाक योजना (स्कीम) :-** वित्तीय वर्ष 2010-11 से पोषाक योजना का शुभारम्भ किया गया है। राज्य के सभी 544 बाल विकास परियोजनाओं के अंतर्गत स्कूल पूर्व शिक्षा प्राप्त कर रहे 3-6 वर्ष आयु के बच्चों को पूर्व से स्वीकृत 91677 आंगनबाड़ी केन्द्रों (मिनी सहित) पर 3558280 बच्चों तथा भारत सरकार से नव स्वीकृत 23041 आंगनबाड़ी केन्द्र (मिनी सहित) 888140 बच्चों को रूपये 250/- प्रति बच्चा वार्षिक लागत की दर पर पोषाक की राशि दिये जाने का लक्ष्य है।

समाज कल्याण विभाग

**12. किशोरी बालिकाओं के लिए योजना (सबला) :-** वित्तीय वर्ष 2011-12 से संचालित यह योजना सम्प्रति राज्य के सभी जिलों में कार्यान्वित की जा रही है। इसके तहत किशोरी बालिकाओं को स्वावलंबी बनाने के साथ-साथ पूरक पोषाहार भी प्रदान किया जाता है। यह योजना पोषण एवं गैर पोषण मद में 11-14 वर्ष की स्कूल नहीं जाने वाली किशोरियों के लिए है।

समाज कल्याण विभाग

**13. इन्दिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना सहित राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन :-** यह योजना वर्ष 2011-12 से लागू किया गया है। इस योजना के तहत गर्भवती एवं शिशु महिलाओं को केन्द्र-राज्य सरकार द्वारा नगद के रूप में प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान है।

समाज कल्याण विभाग

**14. प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना :-** इस योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती/धातृ महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार लाना तथा गर्भावस्था के दौरान हुए वजन में कमी के विरुद्ध उन्हें आंशिक रूप से क्षतिपूर्ति प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत राशि का भुगतान डी0बी0टी0 के माध्यम से किया जाता है।

समाज कल्याण विभाग

**15. इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना :-** इसके अन्तर्गत बी0पी0एल0 परिवार के 60-79 आयु वर्ग के वृद्ध व्यक्ति को रू0 400/- प्रतिमाह तथा 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्ध व्यक्ति को 500/- रू0 प्रतिमाह का दर से पेंशन दिया जाता है।

समाज कल्याण विभाग

**16. इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना :-** इस योजना के अन्तर्गत बी0पी0एल0 परिवार के 40-79 आयु वर्ग की विधवा महिला को रू0 400/- प्रतिमाह पेंशन दिया जाता है, जिसमें रू0 300/- केन्द्र सरकार द्वारा एवं रू0 100/- राज्य सरकार द्वारा अंशदान दिया जाता है।

समाज कल्याण विभाग

**17. इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना :-** इस योजना के अन्तर्गत बी0पी0एल0 परिवार के 18-79 आयु वर्ग के 80 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांगता वाले निःशक्त व्यक्ति को रू0 400/- प्रतिमाह पेंशन दिया जाता है, जिसमें रू0 300/- केन्द्र सरकार द्वारा एवं रू0 100/- राज्य सरकार द्वारा अंशदान दिया जाता है।

समाज कल्याण विभाग

## महिलाओं एवं बालिकाओं के लाभ के लिए महत्वपूर्ण योजनाओं की संक्षिप्त विवरणी

**18. राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना :-** इस योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवार के 18-60 वर्ष आयु वर्ग के कमाउ सदस्य के अकस्मात मृत्यु पर उनके आश्रित को एकमुश्त 20000/- रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।

समाज कल्याण विभाग

**19. लक्ष्मीबाई समाजिक सुरक्षा पेंशन योजना :-** इस योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से अधिक की विधवा जो या तो बीपीएल परिवार की हो या जिनके परिवार की वार्षिक आय 60,000/- रुपये से अधिक न हो तथा जो इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के अन्तर्गत आच्छादित न हो पायी हो, को 400/- रू० प्रतिमाह की दर से पेंशन दिया जाता है।

समाज कल्याण विभाग

**20. बिहार निःशक्तता पेंशन योजना :-** इस योजना के अंतर्गत किसी भी आयु एवं उम्र के 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांगता वाले व्यक्ति को रू० 400/- प्रतिमाह की दर से पेंशन दिया जाता है।

समाज कल्याण विभाग

**21. राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना :-** इस योजना के अंतर्गत 60-64 वर्ष आयु के वैसे वृद्ध व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय शहरी क्षेत्रों में रू० 5500/- एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रू० 5000/- से कम हो तथा किसी भी आयु एवं उम्र के विमुक्त बंधुआ मजदूर को रू० 400/- प्रतिमाह की दर से पेंशन दिया जाता है।

समाज कल्याण विभाग

**22. कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना :-** इस योजना के अन्तर्गत बीपीएल परिवार के किसी भी आयु वर्ग के व्यक्ति की मृत्यु पर उसकी अन्त्येष्टि हेतु परिवार को 3000/- रू० की एकमुश्त सहायता दी जाती है।

समाज कल्याण विभाग

**23. मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना :-** इस योजना के अन्तर्गत किसी भी उम्र के व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु या 18-60 आयु वर्ग के व्यक्ति की अपराधिक घटना में मृत्यु होने की स्थिति में उसके आश्रित परिवार/निकटतम संबंधी को एकमुश्त 20000/- रू० की सहायता दी जाती है।

समाज कल्याण विभाग

**24. मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तिकरण योजना 'सम्बल' :-** इस योजना के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों को छात्रवृत्ति देना, कृत्रिम अंग एवं विशेष उपकरण का निःशुल्क वितरण, शिक्षा एवं स्वरोजगार ऋण, मानसिक विकलांग बच्चों तथा दृष्टिहीन एवं मूक बधिर बालिकाओं हेतु दिवाकालीन विशेष विद्यालय का संचालन, मानसिक विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु आश्रयगृह का संचालन, सर्वेक्षण एवं प्रमाणीकरण आदि किया जाता है।

समाज कल्याण विभाग

**25. बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना :-** इसके अन्तर्गत कुष्ठ रोगी को भोजनादि हेतु 1500/- रूपया प्रतिमाह आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जीविकोपार्जन में असमर्थ कुष्ठ रोगियों को भिक्षावृत्ति से दूर रखना है।

समाज कल्याण विभाग

**26. मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना :-** इस योजना के अंतर्गत राज्य के भिक्षुओं को भिक्षावृत्ति से मुक्त करने एवं उनके स्वरोजगार/शिक्षा आदि की व्यवस्था की जाती है। इस योजना का कार्यान्वयन "स्टेट सोसाइटी फॉर अल्ट्रा पुअर एण्ड सोशल वेल्फेयर" के माध्यम से किया जाता है।

समाज कल्याण विभाग

**27. बिहार एड्स पीड़ित कल्याण योजना :-** इस योजना के अंतर्गत राज्य के एड्स रोगियों को चिकित्सा मुफ्त भोजन आदि की सुविधा बिहार एड्स कन्ट्रोल सोसाइटी की सहायता से 1500/- प्रतिमाह प्रति पीड़ित अनुदान प्रदान करने हेतु बिहार शताब्दी एड्स पीड़ित कल्याण योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

समाज कल्याण विभाग

## महिलाओं एवं बालिकाओं के लाभ के लिए महत्वपूर्ण योजनाओं की संक्षिप्त विवरणी

**28. वृद्धाश्रम निर्माण :-** इस योजना के तहत राज्य की चुनिंदा-चुनिंदा जिलों में भवन निर्माण विभाग के माध्यम से वृद्धाश्रम का निर्माण किया जाना है। इस योजना के अंतर्गत गरीब, बेसहारा वृद्धों के देख-भाल हेतु राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है।

समाज कल्याण विभाग

**29. ओल्ड एज होम (सहारा) :-** सहारा कार्यक्रम के तहत वृद्धजनों के हितार्थ स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से पटना, गया, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर तथा भागलपुर में वृद्धाश्रम संचालित किए जा रहे हैं। इसमें प्रति वृद्धाश्रम 50 वृद्धजनों को आवासन का लाभ दिया जाएगा।

समाज कल्याण विभाग

**30. छात्रावृत्ति योजना :-** अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति के छात्र/छात्राओं के लिए विद्यालय स्तर से महाविद्यालय स्तर तक विभिन्न प्रकार के छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से लाभ पहुँचाया जाता है। प्रवेशिकोत्तर छात्रावृत्ति योजना के तहत सम्पूर्ण फीस के साथ मासिक छात्रवृत्ति केन्द्र सरकार के नियम के अनुसार प्रदान किया जाता है।

अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

**31. मुख्यमंत्री अनु0जाति एवं अनु0जनजाति मेधावृत्ति योजना :-** अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति के वैसे छात्र/छात्रा जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से दसवीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होंगे, उन्हें मुख्यमंत्री अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति मेधावृत्ति योजना के तहत 10,000/- देने की योजना 2008-09 से प्रारंभ की गई है। वित्तीय वर्ष 2015-16 से दसवीं की परीक्षा द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण अनु0जाति एवं अनु0जनजाति के छात्र/छात्रा को 8000 (आठ हजार रुपये) की दर से, एवं बारहवीं कक्षा में प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण अनु0जाति एवं अनु0जनजाति के छात्राओं को प्रति छात्रा क्रमशः 15000 (पंद्रह हजार) एवं 10000 (दस हजार) रुपये प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया गया है।

अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

**32. आवासीय विद्यालय :-** अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के छात्रा/छात्राओं के लिए 65 तथा अनु0 जनजाति छात्रों के लिए 15 आवासीय विद्यालय स्वीकृत हैं, जिसमें से 35 आवासीय विद्यालय बालिकाओं के लिए संचालित हैं। अनु0जनजाति के लिए दो एकलव्य आवासीय विद्यालय यथा प0 चम्पारण एवं कटिहार जिला में स्वीकृति दी गयी है तथा 720 आसन वाले सह शिक्षा पांच आवासीय विद्यालयों क्रमशः किशनगंज, बांका, जमुई, भागलपुर एवं गया जिला में स्थापित करने की स्वीकृति दी गई है। इसी प्रकार से थरूहट क्षेत्र में 10 अनु0जनजाति आवासीय उच्च विद्यालय के स्थापना की स्वीकृति दी गई है, जिसमें 5 नये आवासीय विद्यालय का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है।

अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

**33. छात्रावास :-** वर्तमान में अनु0 जाति एवं जनजाति के छात्र/छात्राओं के आवासन की सुविधा हेतु छात्रावास संचालित हैं। इन छात्रावासों में अनु0जाति के छात्राओं के लिए 7 एवं अनु0जनजाति के छात्राओं के लिए 1 छात्रावास संचालित है।

अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

**34. प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र :-** वर्तमान में पटना, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, सारण एवं आरा जिलों में अनु0 जाति के छात्र/छात्राओं के लिए 7 प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है।

अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

**35. अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत सहायता :-** अनु0 जाति एवं अनु0 जनजातियों के अत्याचार पीड़ितों को सहायता प्रदान करने हेतु इस योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के तहत महिलाओं को भी राहत राशि प्रदान की जाती है।

अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

**36. अनु0 जाति उपयोजना के तहत विशेष केन्द्रीय सहायता योजना :-** इस योजना के अन्तर्गत अनु0 जाति के पुरुष एवं महिलाओं के आर्थिक उत्थान हेतु ऋण के साथ अधिकतम 10000/- अनुदान प्रदान किया जाता है।

अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

## महिलाओं एवं बालिकाओं के लाभ के लिए महत्वपूर्ण योजनाओं की संक्षिप्त विवरणी

**37. अनु0 जनजाति उपयोजना के तहत विशेष केन्द्रीय सहायता :-** इस योजना के अन्तर्गत अनु0 जाति के पुरुष एवं महिलाओं के आर्थिक उत्थान हेतु अनुदान प्रदान किया जाता है।

अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

**38. महादलित विकास :-** महादलितों के विकास हेतु सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के तहत बिहार महादलित विकास मिशन संस्था का गठन किया गया है। महादलित विकास मिशन के माध्यम से महादलितों के विकास हेतु कई प्रकार के आर्थिक उन्नयन, आधारभूत संरचना की योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्य के विभिन्न जिलों में विकास मित्रों का कुल 9879 स्वीकृत पद के विरुद्ध 9460 का चयन किया गया है इसमें 50 प्रतिशत महिलायें हैं। सामुदायिक रेडियो योजना के तहत 19 रेडियो स्टेशन खोलने का निर्णय लिया गया है। दशरथ मांझी कौशल विकास योजना के तहत महादलित परिवार के युवक/युवतियों के कौशल विकास हेतु चयनित संस्थाओं के माध्यम से विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण दिये जाने का प्रावधान है। महादलित परिवारों के लिए शौचालय योजना का संचालन किया जा रहा है।

अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

**39. ग्रामीण जलापूर्ति योजना :-** विकसित बिहार के सात निश्चय अंतर्गत हर घर नल का जल स्कीम के तहत राज्य के सभी 38 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ एवं शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के लिए निधि की उपलब्धता राज्य निधि, विश्व बैंक एवं नाबार्ड से उपलब्ध कराई जा रही है। इसके तहत महिलाओं के विकास पर होने वाले खर्च लगभग 30 प्रतिशत अनुमानित है।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

**40. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम :-** इस योजना के तहत 450 मीनी पाईप जलापूर्ति योजना, 235 ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना, 5 बहुग्रामीय जलापूर्ति योजना, राज्य के गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में (अर्सेनिक, फ्लोराईड एवं आयरन) में शुद्ध पेय जलापूर्ति तथा 10897 सस्टेनेबल चापाकलों के लगाये जाने से महिलाओं के लिये सुविधाओं में विकास होता है।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

**41. मुस्लिम परित्यक्ता महिलाओं को सहायता योजना :-** इस योजना के तहत अल्पसंख्यक मुस्लिम परित्यक्ता महिलाओं को स्वरोजगार हेतु एकमुश्त 10,000/- (दस हजार रुपये) की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

**42. अल्प संख्यक छात्र/छात्राओं को लोक सेवा आयोग की तैयारी हेतु कोचिंग योजना :-** यह राज्य योजना है। इस योजना के अंतर्गत कुल बजट उपबंध का 30 प्रतिशत राशि अल्पसंख्यक छात्राओं के कोचिंग के लिए कार्णांकित है।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

**43. अल्पसंख्यक छात्रावास निर्माण योजना :-** यह राज्य योजना है। इस योजना के लिए कुल बजट प्रावधान का 50 प्रतिशत राशि बालिका छात्रावास के लिए कार्णांकित है।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

**44. मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना :-** यह राज्य योजना है। इस योजना के तहत प्रथम श्रेणी में मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को ₹0 10,000/- एवं द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण मुस्लिम छात्र/छात्राओं को ₹0 8000/- एवं 12वीं परीक्षा में प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण मुस्लिम छात्राओं को क्रमशः रुपये 15000/- एवं रुपये 10,000/- की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

**45. अल्पसंख्यको का बहुक्षेत्रक विकास योजना :-** केन्द्र प्रायोजित -प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक एवं मेधा-सह-आय आधारित छात्रवृत्ति पूर्णतः केन्द्र पोषित योजना है। इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को पठन-पाठन में आर्थिक सहयोग करना है।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

## महिलाओं एवं बालिकाओं के लाभ के लिए महत्वपूर्ण योजनाओं की संक्षिप्त विवरणी

**46. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान योजना :-** इस योजना के तहत 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को उच्च कोटि की शिक्षा सुगमता पूर्वक प्रदान करना है। सामाजिक, आर्थिक एवं लिंगभेद विषमता को दूर करना, छात्रों के गुणात्मक विकास के लिए पाठ्यक्रम में सुधार करते हुए शिक्षकों की नियुक्ति एवं प्रशिक्षित कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है।

शिक्षा विभाग

**47. बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना :-** प्रतिभाशाली और जरूरतमंद विद्यार्थियों को शिक्षा कर्ज पर ब्याज आर्थिक सहायता के लिए छात्र/छात्राओं को चयन कर उन्हें लोन उपलब्ध कराने हेतु बैंक को गारंटी देना, ब्याज के लिए बैंक को भुगतान करना आदि इस योजना के उद्देश्य हैं। मुख्यमंत्री द्वारा घोषित सात निश्चय में एक निश्चय “आर्थिक हल, युवा को बल” के अंतर्गत यह योजना 2 अक्टूबर, 2016 से कार्यान्वयन हो रही है।

शिक्षा विभाग

**48. महिला समख्या कार्यक्रम :-** सर्व शिक्षा अभियान केन्द्रीय योजना में महिलाओं को आत्मनिर्भर, स्वावलम्बन एवं प्रशिक्षित करने हेतु राशि स्वीकृत की जाती है। यह योजना शत प्रतिशत महिलाओं के लिए है।

शिक्षा विभाग

**49. नगर/पंचायत/जिला परिषद शिक्षकों के नियोजन में महिलाओं की भागीदारी :-** स्थानीय निकायों के नगरों, पंचायतों, प्रखंडों, जिला परिषदों के प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन में महिला अभ्यर्थियों को 35 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई, जिससे समाज में महिलाओं की प्रतिष्ठा/सम्मान में वृद्धि हुई है और उनकी भागीदारी से आयवर्द्धक नेतृत्व विकास की भावना विकसित होती है। यह योजना महिलाओं को पुरुष के बराबर अधिकार दिलाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रही है। आज महिलाएं सशक्त हो कर उभरी हैं।

शिक्षा विभाग

**50. मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना :-** 9वीं कक्षा में अध्ययनरत बालिकाओं को प्रति बालिका 2500/- रुपये की राशि साईकिल क्रय के लिए उपलब्ध करायी जाती है। इससे बालिकाओं में आत्मविश्वास जागृत होता है एवं दूर-दराज इलाके की बालिकाओं को माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा प्राप्त करने में सहुलियत होती है।

शिक्षा विभाग

**51. मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना :-** राज्य के प्रारम्भिक विद्यालयों के वर्ग-3 से 5वीं तक के सभी छात्राओं को प्रति छात्रा 500/- (पांच सौ) रुपये, माध्यमिक विद्यालय के वर्ग-6 से 8 में नामांकित तथा उपस्थित होने वाली प्रत्येक छात्रा को 700/- (सात सौ) रुपये एवं वर्ग-9वीं से 12वीं तक के छात्राओं को प्रति छात्रा 1000/- रुपये की राशि पोशाक के लिए उपलब्ध करायी जाती है। बालिका शिक्षा को उच्च स्तर पर बढ़ावा देने हेतु इस योजना का संचालन किया जा रहा है।

शिक्षा विभाग

**52. मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम योजना :-** इस योजना के तहत 12 वर्ष से अधिक उम्र की विद्यालयों में नामांकित सभी बालिकाओं को प्रजनन स्वास्थ्य के संबंध में सामान्य जानकारी एवं माहवारी स्वास्थ्य तथा प्रबंधन के संबंध में विशिष्ट जानकारी प्रदान की जा रही है। साथ ही माहवारी चक्र के दौरान स्वच्छता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यकतानुसार शिक्षिकाओं के माध्यम से निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराकर उसके निस्तार के संबंध में जानकारी दी जा रही है।

शिक्षा विभाग

**53. बिहार बाल भवन किलकारी योजना :-** बाल भवन 'किलकारी' के संचालन हेतु बिहार सरकार प्रतिबद्ध है। इस योजना से 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मानसिक रूप से सुदृढ़ किया जाता है ताकि लड़कों एवं लड़कियों में कोई भेद-भाव न रहे। लड़कियों को समाज के मुख्य धारा में लाने में किलकारी एक महत्वकांक्षी योजना बन गई है।

शिक्षा विभाग



## महिलाओं एवं बालिकाओं के लाभ के लिए महत्वपूर्ण योजनाओं की संक्षिप्त विवरणी

**54. मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना :-** इस योजना का उद्देश्य छात्राओं के शैक्षणिक स्तर में वृद्धि कर विकास की मुख्य धरा में जोड़ना है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की दसवीं परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण सभी छात्राओं को प्रति छात्रा ₹0 10000/- की राशि दी जाती है। सरकारी विद्यालयों, अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों, प्रस्वीकृत मदरसा एवं संस्कृत (सहायता प्राप्त) विद्यालयों में नामांकित सभी कोटि की कक्षा 1 से 10 तक की छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जाती है। कक्षा 1 से 4 के लिए 50/- (पचास) रुपये कक्षा 5 से 6 तक 100/- (एक सौ) रुपये तथा 7 से 10 तक 150/- (एक सौ पचास) रुपये प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति प्रावधानित है। इस योजना से समाज के कमजोर एवं वंचित वर्ग के छात्राओं की शिक्षा में भागीदारी बढ़ी है जो राज्य के मानव विकास का सूचक है।

शिक्षा विभाग

**55. कराटे प्रशिक्षण :-** राज्य के राजकीय/राजकीयकृत/अल्पसंख्यक/बुनियादी विद्यालयों में बालिकाओं को आत्मरक्षार्थ कराटे प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है। यह योजना शतप्रतिशत महिलाओं के लिए है। इस योजना के द्वारा बालिकाओं में हीन भावना दूर होती है तथा वे शारीरिक एवं मानसिक रूप से मजबूत बनती हैं। इस प्रशिक्षण के द्वारा लड़कियां छेड़खानी करने वालों से आत्मरक्षा कर सकती हैं।

शिक्षा विभाग

**56. प्रौढ़ शिक्षा :-** साक्षरता दर बढ़ाने के लिए सरकार ने प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा दिया है। इस योजना द्वारा प्रौढ़ महिलाओं को साक्षर बनाकर, साक्षर महापरीक्षा का प्रत्येक वर्ष आयोजन किया जाता है।

शिक्षा विभाग

**57. राजकीय महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय :-** राज्य सरकार महिलाओं के अध्ययन के लिए काफी प्रयासरत है। राज्य में महिलाओं के लिए विद्यालय एवं महाविद्यालयों की स्थापना अलग से की जा रही है। सरकार का यह कदम लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए है।

शिक्षा विभाग

**58. कस्तूरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालय :-** कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय का मुख्य उद्देश्य समाज के सुविध वंचित समूहों-अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदाय के बालिकाओं को प्रारम्भिक स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है।

शिक्षा विभाग

**59. आई0सी0टी0 परियोजना :-** इंटीग्रेटेड कम्प्यूटर ट्रेनिंग परियोजना के द्वारा राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर ट्रेनिंग की व्यवस्था की जा रही है। इसमें राज्य के बालक/बालिकाओं को मुफ्त कम्प्यूटर शिक्षा देने की व्यवस्था है। इसके द्वारा एक ओर लड़कियों में सामानता- भाव पनप रही है तथा दूसरी ओर रोजगार के अवसर भी आसानी से पा रही है।

शिक्षा विभाग

**60. राजकीय महिला महाविद्यालय :-** राज्य की लड़कियों को उच्च शिक्षा हेतु राजकीय महिला विद्यालय गुलजारबाग तथा गर्दनीबाग की स्थापना की गई है।

शिक्षा विभाग

**61. आदर्श दम्पति योजना :-** इस योजना के माध्यम से नवविवाहित को विवाह के दो साल के पश्चात् ही प्रथम संतान उत्पन्न करने तथा दो बच्चे के जन्म के मध्य कम-से-कम तीन वर्षों का अंतराल रखने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसके साथ ही दो संतानों के पश्चात बन्ध्याकरण कराने हेतु भी लक्षित दम्पतियों को प्रेरित किया जाता है।

स्वास्थ्य विभाग

**62. जननी सुरक्षा योजना :-** मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में वांछित कमी लाने हेतु संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए इस योजना के अन्तर्गत प्रोत्साहन राशि का प्रावधान है। प्रत्येक गर्भवती महिला को ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में क्रमशः 1400/- ₹0 एवं 1000/- ₹0 की राशि देय है। इसी प्रकार आशा/आंगनबाड़ी सेविका को ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में क्रमशः 400/- ₹0 एवं 200/- ₹0 की राशि देय है।

स्वास्थ्य विभाग

## महिलाओं एवं बालिकाओं के लाभ के लिए महत्वपूर्ण योजनाओं की संक्षिप्त विवरणी

**63. ममता कार्यक्रम :-** इसमें अनुसूचित जाति विशेषकर रविदास समूह की महिलाएं होती हैं जो गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशु के देख-रेख हेतु नियुक्त की जाती हैं। इसमें प्रति प्रसव सौ रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में भुगतान किया जाता है।

स्वास्थ्य विभाग

**64. आशा कार्यक्रम :-** इसके अन्तर्गत मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में महिलाओं का चयन होता है। सामान्यतः एक हजार की आबादी अथवा एक आंगनवाड़ी केन्द्र में एक महिला आशा कार्यकर्ता के रूप में कार्यरत रहती है। इनको पारिश्रमिक के तौर पर एन0आर0एच0एम0 के तहत प्रोत्साहन राशि के रूप में भुगतान किया जाता है। बालिका मृत्यु दर को कम करने के निमित्त बीमार नवजात बालिका को एस0एन0सी0यू0 में भर्ती करने के लिए आशा को उत्प्रेरित करने हेतु 500/- रुपये प्रोत्साहन राशि तथा माता को 200/- रुपये प्रतिदिन क्षतिपूर्ति राशि देने का निर्णय लिया गया है।

स्वास्थ्य विभाग

**65. मुख्यमंत्री शताब्दी इन्दिरा आवास प्रोत्साहन योजना :-** इन्दिरा आवास की द्वितीय किस्त की राशि प्राप्त कर दो माह के अन्दर पूर्ण कर लेने वाले अनु0 जाति/जनजाति लाभार्थियों को दो हजार रु0 मुख्यमंत्री शताब्दी इन्दिरा आवास प्रोत्साहन योजनान्तर्गत दिया जाता है।

ग्रामीण विकास विभाग

**66. प्रधानमंत्री आवास योजना :-** नवम्बर, 2016 से इंदिरा आवास योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे गृह विहीन लोगों को 2022 तक आश्रय उपलब्ध कराना है। अनु0 जाति, जनजाति और मुक्त बंधुआ मजदूर परिवारों तथा गरीबी रेखा के नीचे के वंचित परिवारों को गृह निर्माण हेतु मैदानी क्षेत्रों में 120000/- एवं पहाड़ी क्षेत्रों में 130000/- रु0 की सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है।

ग्रामीण विकास विभाग

**67. बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना (जीविका) :-** ):-यह परियोजना विश्व बैंक के सहयोग से बिहार राज्य ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (बी0आर0एल0पी0एस0) द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं का सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तीकरण है। इसका लक्ष्य स्वयं सहायता समूहों का गठन कर उन्हें संस्थागत क्षमता विकसित कर आमदनी बढ़ाना है। इस योजना का कार्यान्वयन बिहार राज्य ग्रामीण जीविका प्रोत्साहन समिति के द्वारा किया जा रहा है। प्रारंभ में इस परियोजना का कार्यान्वयन कुछ ही जिलों में किया जा रहा है। लेकिन अब इसका राज्य के 38 जिलों के 534 प्रखंडों में चरणबद्ध तरीके से विस्तार किया जाना है।

ग्रामीण विकास विभाग

**68. महादलित विकास योजना :-** महादलित विकास योजनान्तर्गत वास रहित महादलित परिवारों के लिए 5 डि0 रैयती भूमि क्रय करके प्रत्येक महादलित परिवार को उपलब्ध कराने की योजना है। यह योजना शत-प्रतिशत महिलाओं के लिए है।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

**69. कौशल विकास मिशन के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम :-** वित्तीय वर्ष 2018-19 में कौशल विकास कार्यक्रम के तहत 15000 युवक/युवतियों को रोजगार हेतु विभिन्न ट्रेड में प्रशिक्षित करना है।

उद्योग विभाग

**70. हस्तशिल्प एवं हस्तकरघा प्रक्षेत्र का विकास :-** हस्तशिल्प एवं हस्तकरघा के विकास हेतु राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित मेला/उत्सव/सेमिनार में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है।

उद्योग विभाग



